

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण
संस्थागत सेक्टर-7, गोरखपुर।

विज्ञापन/पत्रांक:- २०९५

दिनांक: ०७- अगस्त 2024

ई-निविदा सूचना

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा की ओर से सिविल कार्य के अन्तर्गत ०४ कार्य हेतु ई-निविदा दिनांक 12.08.24 को पूर्वान्ह 11 बजे से दिनांक 20.08.24 अपरान्ह 3.00 तक एवं 19 कार्य हेतु ई-निविदा दिनांक 12.08.24 को पूर्वान्ह 11 बजे से दिनांक 02.09.24 अपरान्ह 3.00 तक आमंत्रित की जाती है। संबंधित निविदा प्रपत्र वेबसाईट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर उपलब्ध रहेगी। वेबसाईट पर उपलब्ध निविदा नोटिस में परफार्मेंस सिक्यूरिटी/परफार्मेंस गारण्टी धनराशि, निविदा मूल्य, निविदा डालने की तिथि, कार्य करने की अवधि एवं निविदा लागत तथा निविदा की विस्तृत नियम एवं शर्तों का उल्लेख है। इच्छुक ठेकेदार/फर्म नियमित रूप से उक्त वेबसाईट/नोटिस बोर्ड को देखते रहें। आन लाइन ई-निविदा के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाईट पर उपलब्ध करायी जायेगी।

४०
दिनांक 07/08/24
Times of India

07/08/24
(अनुज मलिक)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
गीडा, गोरखपुर।
LCV

कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर

दूरभाष-(0551) 2580010, 2580090 फ़ैक्स. (0551) 2580020

ई-निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा गीडा/केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों एवं अर्द्धसरकारी उपक्रमों में सिविल निर्माण कार्य हेतु कॉलम न0 7 के अनुसार अर्ह श्रेणी में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार से ऑन लाईन ई-निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-विड्स सिस्टम द्वारा ई-निविदा दिनांक 12.08.24 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनांक 02.09.24 को अपराह्न 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है एवं दिनांक 30.08.24 सायं 4:00 बजे प्री-बिड बैठक होगी। दिनांक 02.09.24 को अपराह्न 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (रु0 लाख में) (जी.एस.टी. अतिरिक्त)	धरोहर धनराशि (रु0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी.एस.टी. सहित)	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गीडा सेक्टर 13 में पिपरौली रोड के पश्चिम में स्थित आन्तरिक मार्गों की पटरी पर इण्टरलाकिंग का कार्य।	406.69	22.34	(निविदा मूल्य + जी.एस.टी) रु0 2950.00	09 माह	'ए'	आन- लाईन

नोट— कृपया निविदा प्रपत्र इत्यादि के सम्बंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 30.08.24 तक कोई भी शुद्धि पत्र नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> से प्राप्त की जा सकती है।

नियम एवं शर्त:-

- 1) निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य तथा धरोहर धनराशि "गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या-740901000088, IFSC कोड- ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा-तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No./Transaction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- 2) निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी।
- 3) ITB क्लाज 4.4 बी के अनुसार निविदा के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में रु0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण-पत्र मूल रूप में "मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा गोरखपुर" को सम्बोधित करते हुए निविदा की अन्तिम तिथि के पूर्व एवं निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराइज्ड मूल रूप से आनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

- i) ऐसे निविदादाता जिसका सगा-सम्बन्धी (defined as first blood relations, and their spouses) जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी/अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/सहायक प्रबन्धक/प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर आसीन होंगे, को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्तेदारों का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जोकि गीडा/खण्ड अथवा वृत्त में कार्यरत है।
- ii) ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेगें, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- iii) कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है, उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4) प्रत्येक बिडर्स को रू0 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर के शपथ-पत्र पर सभी सूचनाएँ निर्धारित प्रपत्रों पर ऑन-लाईन अपलोड करना अनिवार्य है, जिससे कि निविदादाता की बिड्स कैपेसिटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता)/परीक्षण/ऑकलित हो सकें:-
 - i) प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को सभी सूचनाएँ/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे-टी-4(चरित्र प्रमाण पत्र),टी-5 (हैसियत प्रमाण पत्र) की सत्यापित छायाप्रति एवं टी-6 (शपथ पत्र) मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर नोटराइज्ड होना) प्रत्येक निविदा के साथ, शा0सं0 2572/23-7-2014-176 (सामान्य)/06टी0सी0 दिनांक 23 सितम्बर 2014 के क्रम में अपलोड करना अनिवार्य है।
 - ii) लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 836/23-7-17-176(सा0)/06 दिनांक 08 जून 2017 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार टेन्डर/कार्य में पारदर्शिता एवं सूचिता लाने तथा माफिया गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने एवं माफिया गतिविधियों, गैंगेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलग्न हो, उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हों उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित होगा एवं उसे ठेका भी नहीं दिया जायेगा। साथ ही जो ठेकेदार पूर्व में लो0नि0वि0 अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड श्रेणी में आते हैं वो भी ठेके में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हें कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा इस सम्बन्ध में निविदा के साथ शपथ पत्र (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना होगा।
- 5) (clause 4.4A(a)) - निविदादाता द्वारा विगत 05 वित्तीय वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में निविदा धनराशि के समान धनराशि (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का टर्नओवर प्राप्त किया होना चाहिए। टर्न ओवर हेतु सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट एवं विगत 05 वित्तीय वर्षों का आई0टी0आर0 तथा नवीनतम वैध चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 का पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 6) विगत 05 वित्तीय वर्षों में किये गये कार्य के अनुभव के सम्बन्ध में :- (clause 4.4A (b)) - निविदादाता द्वारा मुख्य ठेकेदार के रूप में विगत 05 वित्तीय वर्षों में समान प्रकृति का निविदा धनराशि की कम से कम एक तिहाई लागत (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का 01 कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण किया गया हो। सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 7) निविदादाता द्वारा स्वीकृत आगणन दरों से कम दर अंकित करने पर नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा तथा जमा की गयी परफार्मेंस सिक्योरिटी संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
- 8) निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंकों में निर्धारित स्थान पर अंकित होने चाहिए। एक/समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।
- 9) निविदा स्वीकृति के पश्चात निविदा कार्य की कार्यादेश आदेश प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है अन्यथा विलम्ब के लिए रू0 1000 प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति पत्र की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

- 10) निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात 24 माह के अन्दर कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को दूर करना ठेकेदार/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 11) ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुये संतोषजनक उत्तर देने पर समय वृद्धि अथवा सन्तोषजनक कारण न होने पर अनुबंध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक आर्थिक दण्ड लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।
- 12) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी। यदि निविदा की दरें अव्यवहारिक पायी जाती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कार्यहित में निविदा को निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी में निहित होगा।
- 13) ठेकेदार द्वारा मानकों के अनुसार कराये गये कार्यों का समय-समय पर भुगतान किया जायेगा एवं पूर्व गठित तकनीकी जांच समिति अथवा गुणवत्ता जांच थर्ड पार्टी की संस्तुति के पश्चात ही अन्तिम भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- 14) निविदादाता द्वारा संलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर निविदाकार को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 15) ई-निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा। पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नहीं होगा।
- 16) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- 17) (i) जी0एस0टी0 एवं अन्य करों की देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।
 ii) निविदादाता सम्पूर्ण आवश्यक प्रचलित दरों के दृष्टिगत निविदा की दरों को कोट करना सुनिश्चित करेंगे।
 iii) निविदा स्वीकृति के समय ठेकेदार को अतिरिक्त धरोहर-धनराशि अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ के शासदनादेश सं0 8/2017/836/ 23-7-17-176(सा.)/06 दिनांक 8-6-2017 पैरा-19 के अनुसार देय होगी।
- 18) हॉटमिक्स प्लान्ट से कराये जाने वाले बिटुमिन कार्य/सीमेन्ट कंक्रीट के कार्यों हेतु आर0एम0सी0 प्लान्ट, अन्य मशीनरी का स्वामित्व अथवा लीज एग्रीमेन्ट होना अनिवार्य है।
- 19) अन्य नियम व शर्तें गीडा/लोक निर्माण विभाग के अनुरूप होंगी जिन्हें किसी भी कार्य दिवस में गीडा अभियन्त्रण अनुभाग में देखी व जानी जा सकती हैं।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक: 2097 /अभि0नि0-6/सिविल/निविदा/गीडा/2024-25, दिनांक: 07- /अगस्त ,2024

प्रतिलिपि :-

- 1- उप जिलाधिकारी/विशेष कार्याधिकारी को सूचनार्थ।
- 2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- प्रबन्धक (सिविल) गीडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाईट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 5- गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 6- सम्बन्धित पत्रावली/गार्ड फाईल।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

5

कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर

दूरभाष-(0551) 2580010, 2580090 फ़ैक्स. (0551) 2580020

ई-निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा गीडा/केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों एवं अर्द्धसरकारी उपक्रमों में सिविल निर्माण कार्य हेतु कॉलम न0 7 के अनुसार अई श्रेणी में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार से ऑन लाईन ई-निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-विड्स सिस्टम द्वारा ई-निविदा दिनांक 12.08.24 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनांक 02.09.24 को अपराह्न 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है एवं दिनांक 30.08.24 सायं 4:00 बजे प्री-बिड बैठक होगी। दिनांक 02.09.24 को अपराह्न 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (रु0 लाख में) (जी.एस.टी. अतिरिक्त)	धरोहर धनराशि (रु0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी.एस.टी. सहित)	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गीडा परिक्षेत्र के सेक्टर 28 में प्लास्टिक पार्क के 24 मीटर मार्ग की पटरी पर इण्टरलाकिंग का कार्य।	137.38	8.87	(निविदा मूल्य + जी. एस.टी.) रु0 2950.00	09 माह	'ए'	आन- लाईन

नोट- कृपया निविदा प्रपत्र इत्यादि के सम्बंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 30.08.24 तक कोई भी शुद्धि पत्र नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> से प्राप्त की जा सकती है।

नियम एवं शर्त:-

- 1) निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य तथा धरोहर धनराशि "गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या-740901000088, IFSC कोड- ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा-तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No./Transaction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- 2) निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी।
- 3) ITB क्लाज 4.4 बी के अनुसार निविदा के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में रु0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण-पत्र मूल रूप में "मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा गोरखपुर" को सम्बोधित करते हुए निविदा की अन्तिम तिथि के पूर्व एवं निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराइज्ड मूल रूप से आनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

- i) ऐसे निविदादाता जिसका सगा-सम्बन्धी (defined as first blood relations, and their spouses) जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी/अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/सहायक प्रबन्धक/प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर आसीन हों, को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्तेदारों का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जोकि गीडा/खण्ड अथवा वृत्त में कार्यरत है।
- ii) ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेगें, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- iii) कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है, उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4) प्रत्येक बिडर्स को रू0 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर के शपथ-पत्र पर सभी सूचनाएँ निर्धारित प्रपत्रों पर ऑन-लाईन अपलोड करना अनिवार्य है, जिससे कि निविदादाता की बिड्स कंपैसिटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता)/परीक्षण/आँकलित हो सकें:-
 - i) प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को सभी सूचनाएँ/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे-टी-4(चरित्र प्रमाण पत्र), टी-5 (हैसियत प्रमाण पत्र) की सत्यापित छायाप्रति एवं टी-6 (शपथ पत्र) मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर नोटराइज्ड होना) प्रत्येक निविदा के साथ, शा0सं0 2572/23-7-2014-176 (सामान्य)/06टी0सी0 दिनांक 23 सितम्बर 2014 के क्रम में अपलोड करना अनिवार्य है।
 - ii) लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 836/23-7-17-176(सा0)/06 दिनांक 08 जून 2017 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार टेन्डर/कार्य में पारदर्शिता एवं सूचिता लाने तथा माफिया गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने एवं माफिया गतिविधियों, गैंगेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलग्न हो, उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हों उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित होगा एवं उसे ठेका भी नहीं दिया जायेगा। साथ ही जो ठेकेदार पूर्व में लो0नि0वि0 अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड श्रेणी में आते हैं वो भी ठेके में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हें कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा इस सम्बन्ध में निविदा के साथ शपथ पत्र (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना होगा।
- 5) (clause 4.4A(a)) - निविदादाता द्वारा विगत 05 वित्तीय वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में निविदा धनराशि के समान धनराशि (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का टर्नओवर प्राप्त किया होना चाहिए। टर्न ओवर हेतु सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट एवं विगत 05 वित्तीय वर्षों का आई0टी0आर0 तथा नवीनतम वैध चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 का पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 6) विगत 05 वित्तीय वर्षों में किये गये कार्य के अनुभव के सम्बन्ध में :- (clause 4.4A (b)) - निविदादाता द्वारा मुख्य ठेकेदार के रूप में विगत 05 वित्तीय वर्षों में समान प्रकृति का निविदा धनराशि की कम से कम एक तिहाई लागत (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का 01 कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण किया गया हो। सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 7) निविदादाता द्वारा स्वीकृत आगणन दरों से कम दर अंकित करने पर नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात् ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा तथा जमा की गयी परफार्मेंस सिक्योरिटी संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
- 8) निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंकों में निर्धारित स्थान पर अंकित होने चाहिए। एक/समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।
- 9) निविदा स्वीकृति के पश्चात् निविदा कार्य की कार्यादेश आदेश प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है अन्यथा विलम्ब के लिए रू0 1000 प्रतिदिन अर्धदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति पत्र की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

- 10) निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात 24 माह के अन्दर कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को दूर करना ठेकेदार/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 11) ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुये संतोषजनक उत्तर देने पर समय वृद्धि अथवा संतोषजनक कारण न होने पर अनुबंध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक आर्थिक दण्ड लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।
- 12) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी। यदि निविदा की दरें अव्यवहारिक पायी जाती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कार्यहित में निविदा को निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी में निहित होगा।
- 13) ठेकेदार द्वारा मानकों के अनुसार कराये गये कार्यों का समय-समय पर भुगतान किया जायेगा एवं पूर्व गठित तकनीकी जांच समिति अथवा गुणवत्ता जाँच थर्ड पार्टी की संस्तुति के पश्चात ही अन्तिम भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- 14) निविदादाता द्वारा संलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर निविदाकार को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 15) ई-निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा। पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नहीं होगा।
- 16) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- 17) (i) जी0एस0टी0 एवं अन्य करों की देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।
ii) निविदादाता सम्पूर्ण आवश्यक प्रचलित दरों के दृष्टिगत निविदा की दरों को कोट करना सुनिश्चित करेंगे।
iii) निविदा स्वीकृति के समय ठेकेदार को अतिरिक्त धरोहर-धनराशि अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ के शासदनादेश सं0 8/2017/836/ 23-7-17-176(सा.)/06 दिनांक 8-6-2017 पैरा-19 के अनुसार देय होगी।
- 18) हॉटमिक्स प्लान्ट से कराये जाने वाले बिटुमिन कार्य/सीमेन्ट कंक्रीट के कार्यों हेतु आर0एम0सी0 प्लान्ट, अन्य मशीनरी का स्वामित्व अथवा लीज एग्रीमेन्ट होना अनिवार्य है।
- 19) अन्य नियम व शर्तें गीडा/लोक निर्माण विभाग के अनुरूप होंगी जिन्हें किसी भी कार्य दिवस में गीडा अभियन्त्रण अनुभाग में देखी व जानी जा सकती हैं।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक: 2062 /अभि0नि0-6/सिविल/निविदा/गीडा/2024-25, दिनांक: 06- /अगस्त ,2024

प्रतिलिपि :-

- 1- उप जिलाधिकारी/विशेष कार्याधिकारी को सूचनार्थ।
- 2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- प्रबन्धक (सिविल) गीडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाईट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 5- गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 6- सम्बन्धित पत्रावली/गार्ड फाईल।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर

दूरभाष-(0551) 2580010, 2580090 फ़ैक्स. (0551) 2580020

ई-निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा गीडा/केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों एवं अर्द्धसरकारी उपक्रमों में सिविल निर्माण कार्य हेतु कॉलम न0 7 के अनुसार अर्ह श्रेणी में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार से ऑन लाईन ई-निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-विड्स सिस्टम द्वारा ई-निविदा दिनांक 12.08.24 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनांक 02.09.24 को अपराह्न 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है एवं दिनांक 30.08.24 सायं 4:00 बजे प्री-बिड बैठक होगी। दिनांक 02.09.24 को अपराह्न 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (रु0 लाख में) (जी.एस.टी. अतिरिक्त)	धरोहर धनराशि (रु0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी.एस.टी. सहित)	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Maintenance/upgradation of Road, Repair of damaged Drain, Reconstruction of RCC Drain, construction of RCC Culverts and Interlocking Tiles work on road side paties at sectors-5 GIDA, Gorakhpur.	142.20	9.11	(निविदा मूल्य + जी. एस.टी.) रु0 2950.00	09 माह	'ए'	आन- लाईन

नोट- कृपया निविदा प्रपत्र इत्यादि के सम्बंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 30.08.24 तक कोई भी शुद्धि पत्र नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेबसाईट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> से प्राप्त की जा सकती है।

नियम एवं शर्तें:-

- 1) निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य तथा धरोहर धनराशि "गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या-740901000088, IFSC कोड- ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा-तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No./Transaction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- 2) निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी।
- 3) ITB क्लाज 4.4 बी के अनुसार निविदा के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में रु0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण-पत्र मूल रूप में "मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा गोरखपुर" को सम्बोधित करते हुए निविदा की अन्तिम तिथि के पूर्व एवं निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराइज्ड मूल रूप से आनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

- i) ऐसे निविदादाता जिसका सगा-सम्बन्धी (defined as first blood relations, and their spouses) जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी/अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/सहायक प्रबन्धक/प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर आसीन होंगे, को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्तेदारों का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जोकि गीडा/खण्ड अथवा वृत्त में कार्यरत है।
- ii) ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेगें, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- iii) कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है, उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4) प्रत्येक बिडर्स को रू0 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर के शपथ-पत्र पर सभी सूचनाएँ निर्धारित प्रपत्रों पर ऑन-लाईन अपलोड करना अनिवार्य है, जिससे कि निविदादाता की बिड्स कैपेसिटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता)/परीक्षण/आँकलित हो सकें:-
 - i) प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को सभी सूचनाएँ/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे-टी-4(चरित्र प्रमाण पत्र), टी-5 (हैसियत प्रमाण पत्र) की सत्यापित छायाप्रति एवं टी-6 (शपथ पत्र) मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर नोटराइज्ड होना) प्रत्येक निविदा के साथ, शा0सं0 2572/23-7-2014-176 (सामान्य)/06टी0सी0 दिनांक 23 सितम्बर 2014 के क्रम में अपलोड करना अनिवार्य है।
 - ii) लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 836/23-7-17-176(सा0)/06 दिनांक 08 जून 2017 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार टेन्डर/कार्य में पारदर्शिता एवं सूचिता लाने तथा माफिया गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने एवं माफिया गतिविधियों, गैंगेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलग्न हो, उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हों उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित होगा एवं उसे ठेका भी नहीं दिया जायेगा। साथ ही जो ठेकेदार पूर्व में लो0नि0वि0 अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड श्रेणी में आते हैं वो भी ठेके में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हें कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा इस सम्बन्ध में निविदा के साथ शपथ पत्र (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना होगा।
- 5) (clause 4.4A(a)) - निविदादाता द्वारा विगत 05 वित्तीय वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में निविदा धनराशि के समान धनराशि (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का टर्नओवर प्राप्त किया होना चाहिए। टर्न ओवर हेतु सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट एवं विगत 05 वित्तीय वर्षों का आई0टी0आर0 तथा नवीनतम वैध चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 का पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 6) विगत 05 वित्तीय वर्षों में किये गये कार्य के अनुभव के सम्बन्ध में :- (clause 4.4A (b)) - निविदादाता द्वारा मुख्य ठेकेदार के रूप में विगत 05 वित्तीय वर्षों में समान प्रकृति का निविदा धनराशि की कम से कम एक तिहाई लागत (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का 01 कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण किया गया हो। सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 7) निविदादाता द्वारा स्वीकृत आगणन दरों से कम दर अंकित करने पर नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा तथा जमा की गयी परफार्मेंस सिक्योरिटी संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
- 8) निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंकों में निर्धारित स्थान पर अंकित होने चाहिए। एक/समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।
- 9) निविदा स्वीकृति के पश्चात निविदा कार्य की कार्यदेश आदेश प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है अन्यथा विलम्ब के लिए रू0 1000 प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति पत्र की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

- 10) निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात 24 माह के अन्दर कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को दूर करना ठेकेदार/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 11) ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुये संतोषजनक उत्तर देने पर समय वृद्धि अथवा सन्तोषजनक कारण न होने पर अनुबंध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक आर्थिक दण्ड लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।
- 12) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी। यदि निविदा की दरें अव्यवहारिक पायी जाती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कार्यहित में निविदा को निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी में निहित होगा।
- 13) ठेकेदार द्वारा मानकों के अनुसार कराये गये कार्यों का समय-समय पर भुगतान किया जायेगा एवं पूर्व गठित तकनीकी जांच समिति अथवा गुणवत्ता जाँच थर्ड पार्टी की संस्तुति के पश्चात ही अन्तिम भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- 14) निविदादाता द्वारा संलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर निविदाकार को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 15) ई-निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा। पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नहीं होगा।
- 16) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- 17) (i) जी0एस0टी0 एवं अन्य करों की देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।
ii) निविदादाता सम्पूर्ण आवश्यक प्रचलित दरों के दृष्टिगत निविदा की दरों को कोट करना सुनिश्चित करेंगे।
iii) निविदा स्वीकृति के समय ठेकेदार को अतिरिक्त धरोहर-धनराशि अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ के शासदनादेश सं0 8/2017/836/ 23-7-17-176(सा.)/06 दिनांक 8-6-2017 पैरा-19 के अनुसार देय होगी।
- 18) हॉटमिक्स प्लान्ट से कराये जाने वाले बिटुमिन कार्य/सीमेन्ट कंक्रीट के कार्यों हेतु आर0एम0सी0 प्लान्ट, अन्य मशीनरी का स्वामित्व अथवा लीज एग्रीमेन्ट होना अनिवार्य है।
- 19) अन्य नियम व शर्तें गीडा/लोक निर्माण विभाग के अनुरूप होंगीं जिन्हें किसी भी कार्य दिवस में गीडा अभियन्त्रण अनुभाग में देखी व जानी जा सकती हैं।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक: 2068 /अभि0नि0-6/सिविल/निविदा/गीडा/2024-25, दिनांक: 06/अगस्त, 2024

प्रतिलिपि :-

- 1- उप जिलाधिकारी/विशेष कार्याधिकारी को सूचनार्थ।
- 2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- प्रबन्धक (सिविल) गीडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 5- गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 6- सम्बन्धित पत्रावली/गार्ड फाईल।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर

दूरभाष-(0551) 2580010, 2580090 फ़ैक्स. (0551) 2580020

ई-निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा गीडा/केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों एवं अर्द्धसरकारी उपक्रमों में सिविल निर्माण कार्य हेतु कॉलम न0 7 के अनुसार अर्ह श्रेणी में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार से ऑन लाईन ई-निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-विड्स सिस्टम द्वारा ई-निविदा दिनांक 12.08.24 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनांक 02.09.24 को अपराह्न 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है एवं दिनांक 30.08.24 सायं 4:00 बजे प्री-बिड बैठक होगी। दिनांक 02.09.24 को अपराह्न 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (रु0 लाख में) (जी.एस.टी. अतिरिक्त)	धरोहर धनराशि (रु0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी.एस.टी. सहित)	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गीडा सेक्टर 13 में पिपरौली रोड के पूरब में स्थित आन्तरिक मार्गों की पटरी पर इण्टरलाकिंग का कार्य।	497.07	26.86	(निविदा मूल्य + जी. एस.टी) रु0 2950.00	09 माह	'ए'	आन- लाईन

नोट- कृपया निविदा प्रपत्र इत्यादि के सम्बंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 30.08.24 तक कोई भी शुद्धि पत्र नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> से प्राप्त की जा सकती है।

नियम एवं शर्त:-

- 1) निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य तथा धरोहर धनराशि "गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या-740901000088, IFSC कोड- ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा-तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No./Transaction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- 2) निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी।
- 3) ITB क्लाज 4.4 बी के अनुसार निविदा के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में रु0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण-पत्र मूल रूप में "मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा गोरखपुर" को सम्बोधित करते हुए निविदा की अन्तिम तिथि के पूर्व एवं निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराइज्ड मूल रूप से आनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

11

- i) ऐसे निविदादाता जिसका सगा-सम्बन्धी (defined as first blood relations, and their spouses) जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी/अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/सहायक प्रबन्धक/प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर आसीन हों, को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्तेदारों का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जोकि गीडा/खण्ड अथवा वृत्त में कार्यरत है।
- ii) ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेगें, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- iii) कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है, उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4) प्रत्येक बिडर्स को रु0 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर के शपथ-पत्र पर सभी सूचनाएँ निर्धारित प्रपत्रों पर ऑन-लाईन अपलोड करना अनिवार्य है, जिससे कि निविदादाता की बिड्स कैपेसिटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता)/परीक्षण/ऑकलित हो सकें:-
 - i) प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को सभी सूचनाएँ/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे-टी-4(चरित्र प्रमाण पत्र), टी-5 (हैसियत प्रमाण पत्र) की सत्यापित छायाप्रति एवं टी-6 (शपथ पत्र) मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर नोटराइज्ड होना) प्रत्येक निविदा के साथ, शा0सं0 2572/23-7-2014-176 (सामान्य)/06टी0सी0 दिनांक 23 सितम्बर 2014 के क्रम में अपलोड करना अनिवार्य है।
 - ii) लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 836/23-7-17-176(सा0)/06 दिनांक 08 जून 2017 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार टेन्डर/कार्य में पारदर्शिता एवं सूचिता लाने तथा माफिया गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने एवं माफिया गतिविधियों, गैंगेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलग्न हो, उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हों उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित होगा एवं उसे ठेका भी नहीं दिया जायेगा। साथ ही जो ठेकेदार पूर्व में लो0नि0वि0 अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड श्रेणी में आते हैं वो भी ठेके में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हें कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा इस सम्बन्ध में निविदा के साथ शपथ पत्र (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना होगा।
- 5) (clause 4.4A(a)) - निविदादाता द्वारा विगत 05 वित्तीय वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में निविदा धनराशि के समान धनराशि (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का टर्नओवर प्राप्त किया होना चाहिए। टर्न ओवर हेतु सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट एवं विगत 05 वित्तीय वर्षों का आई0टी0आर0 तथा नवीनतम वैध चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 का पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 6) विगत 05 वित्तीय वर्षों में किये गये कार्य के अनुभव के सम्बन्ध में :- (clause 4.4A (b)) - निविदादाता द्वारा मुख्य ठेकेदार के रूप में विगत 05 वित्तीय वर्षों में समान प्रकृति का निविदा धनराशि की कम से कम एक तिहाई लागत (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का 01 कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण किया गया हो। सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 7) निविदादाता द्वारा स्वीकृत आगणन दरों से कम दर अंकित करने पर नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा तथा जमा की गयी परफार्मेंस सिक्योरिटी संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
- 8) निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंकों में निर्धारित स्थान पर अंकित होने चाहिए। एक/समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।
- 9) निविदा स्वीकृति के पश्चात निविदा कार्य की कार्यादेश आदेश प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है अन्यथा विलम्ब के लिए रु0 1000 प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति पत्र की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

- 10) निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात 24 माह के अन्दर कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को दूर करना ठेकेदार/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 11) ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुये संतोषजनक उत्तर देने पर समय वृद्धि अथवा सन्तोषजनक कारण न होने पर अनुबंध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक आर्थिक दण्ड लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।
- 12) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी। यदि निविदा की दरें अव्यवहारिक पायी जाती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कार्यहित में निविदा को निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी में निहित होगा।
- 13) ठेकेदार द्वारा मानकों के अनुसार कराये गये कार्यों का समय-समय पर भुगतान किया जायेगा एवं पूर्व गठित तकनीकी जांच समिति अथवा गुणवत्ता जाँच थर्ड पार्टी की संस्तुति के पश्चात ही अन्तिम भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- 14) निविदादाता द्वारा संलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर निविदाकार को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 15) ई-निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा। पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नहीं होगा।
- 16) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- 17) (i) जी0एस0टी0 एवं अन्य करों की देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।
ii) निविदादाता सम्पूर्ण आवश्यक प्रचलित दरों के दृष्टिगत निविदा की दरों को कोट करना सुनिश्चित करेंगे।
iii) निविदा स्वीकृति के समय ठेकेदार को अतिरिक्त धरोहर-धनराशि अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ के शासदनादेश सं0 8/2017/836/ 23-7-17-176(सा.)/06 दिनांक 8-6-2017 पैरा-19 के अनुसार देय होगी।
- 18) हॉटमिक्स प्लान्ट से कराये जाने वाले बिटुमिन कार्य/सीमेन्ट कंक्रीट के कार्यों हेतु आर0एम0सी0 प्लान्ट, अन्य मशीनरी का स्वामित्व अथवा लीज एग्रीमेन्ट होना अनिवार्य है।
- 19) अन्य नियम व शर्तें गीडा/लोक निर्माण विभाग के अनुरूप होंगी जिन्हें किसी भी कार्य दिवस में गीडा अभियन्त्रण अनुभाग में देखी व जानी जा सकती हैं।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक: 2098 /अभि0नि0-6/सिविल/निविदा/गीडा/2024-25, दिनांक: 07-/अगस्त ,2024

प्रतिलिपि :-

- 1- उप जिलाधिकारी/विशेष कार्याधिकारी को सूचनार्थ।
- 2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- प्रबन्धक (सिविल) गीडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 5- गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 6- सम्बन्धित पत्रावली/गार्ड फाईल।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर

दूरभाष-(0551) 2580010, 2580090 फ़ैक्स. (0551) 2580020

ई-निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा गीडा/केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों एवं अर्द्धसरकारी उपक्रमों में सिविल निर्माण कार्य हेतु कॉलम न0 7 के अनुसार अर्ह श्रेणी में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार से ऑन लाईन ई-निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-विड्स सिस्टम द्वारा ई-निविदा दिनांक 12.08.24 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनांक 02.09.24 को अपराह्न 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है एवं दिनांक 30.08.24 सायं 4:00 बजे प्री-बिड बैठक होगी। दिनांक 02.09.24 को अपराह्न 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (रु0 लाख में) (जी.एस.टी. अतिरिक्त)	धरोहर धनराशि (रु0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी.एस.टी. सहित)	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गीडा सेक्टर 15 में स्थित आन्तरिक मार्गों की पटरी पर इण्टरलाकिंग का कार्य।	361.51	20.08	(निविदा मूल्य + जी.एस.टी) रु0 2950.00	09 माह	'ए'	आन- लाईन

नोट— कृपया निविदा प्रपत्र इत्यादि के सम्बंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 30.08.24 तक कोई भी शुद्धि पत्र नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> से प्राप्त की जा सकती है।

नियम एवं शर्त:-

- 1) निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य तथा धरोहर धनराशि "गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या-740901000088, IFSC कोड- ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा-तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No./Transaction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- 2) निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी।
- 3) ITB क्लाज 4.4 बी के अनुसार निविदा के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में रु0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण-पत्र मूल रूप में "मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा गोरखपुर" को सम्बोधित करते हुए निविदा की अन्तिम तिथि के पूर्व एवं निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराइज्ड मूल रूप से आनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

14

- i) ऐसे निविदादाता जिसका सगा-सम्बन्धी (defined as first blood relations, and their spouses) जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी/अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/सहायक प्रबन्धक/प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर आसीन होंगे, को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्तेदारों का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जोकि गीडा/खण्ड अथवा वृत्त में कार्यरत है।
- ii) ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेंगे, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- iii) कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है, उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4) प्रत्येक बिडर्स को रू0 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर के शपथ-पत्र पर सभी सूचनाएँ निर्धारित प्रपत्रों पर ऑन-लाईन अपलोड करना अनिवार्य है, जिससे कि निविदादाता की बिड्स कैपेसिटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता)/परीक्षण/आँकलित हो सकें:-
 - i) प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को सभी सूचनाएँ/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे-टी-4(चरित्र प्रमाण पत्र), टी-5 (हैसियत प्रमाण पत्र) की सत्यापित छायाप्रति एवं टी-6 (शपथ पत्र) मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर नोटराइज्ड होना) प्रत्येक निविदा के साथ, शा0सं0 2572/23-7-2014-176 (सामान्य)/06टी0सी0 दिनांक 23 सितम्बर 2014 के क्रम में अपलोड करना अनिवार्य है।
 - ii) लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 836/23-7-17-176(सा0)/06 दिनांक 08 जून 2017 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार टेन्डर/कार्य में पारदर्शिता एवं सूचिता लाने तथा माफिया गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने एवं माफिया गतिविधियों, गैंगेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलग्न हो, उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हों उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित होगा एवं उसे ठेका भी नहीं दिया जायेगा। साथ ही जो ठेकेदार पूर्व में लो0नि0वि0 अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड श्रेणी में आते हैं वो भी ठेके में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हें कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा इस सम्बन्ध में निविदा के साथ शपथ पत्र (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना होगा।
- 5) (clause 4.4A(a)) - निविदादाता द्वारा विगत 05 वित्तीय वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में निविदा धनराशि के समान धनराशि (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का टर्नओवर प्राप्त किया होना चाहिए। टर्न ओवर हेतु सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट एवं विगत 05 वित्तीय वर्षों का आई0टी0आर0 तथा नवीनतम वैध चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 का पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 6) विगत 05 वित्तीय वर्षों में किये गये कार्य के अनुभव के सम्बन्ध में :- (clause 4.4A (b)) - निविदादाता द्वारा मुख्य ठेकेदार के रूप में विगत 05 वित्तीय वर्षों में समान प्रकृति का निविदा धनराशि की कम से कम एक तिहाई लागत (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का 01 कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण किया गया हो। सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 7) निविदादाता द्वारा स्वीकृत आगणन दरों से कम दर अंकित करने पर नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा तथा जमा की गयी परफार्मेंस सिक्योरिटी संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
- 8) निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंकों में निर्धारित स्थान पर अंकित होने चाहिए। एक/समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।
- 9) निविदा स्वीकृति के पश्चात निविदा कार्य की कार्यदेश आदेश प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है अन्यथा विलम्ब के लिए रू0 1000 प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति पत्र की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

- 10) निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात 24 माह के अन्दर कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को दूर करना ठेकेदार/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 11) ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुये संतोषजनक उत्तर देने पर समय वृद्धि अथवा सन्तोषजनक कारण न होने पर अनुबंध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक आर्थिक दण्ड लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।
- 12) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी। यदि निविदा की दरें अव्यवहारिक पायी जाती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कार्यहित में निविदा को निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी में निहित होगा।
- 13) ठेकेदार द्वारा मानकों के अनुसार कराये गये कार्यों का समय-समय पर भुगतान किया जायेगा एवं पूर्व गठित तकनीकी जांच समिति अथवा गुणवत्ता जाँच थर्ड पार्टी की संस्तुति के पश्चात ही अन्तिम भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- 14) निविदादाता द्वारा संलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर निविदाकार को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 15) ई-निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा। पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नहीं होगा।
- 16) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- 17) (i) जी0एस0टी0 एवं अन्य करों की देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।
 ii) निविदादाता सम्पूर्ण आवश्यक प्रचलित दरों के दृष्टिगत निविदा की दरों को कोट करना सुनिश्चित करेंगे।
 iii) निविदा स्वीकृति के समय ठेकेदार को अतिरिक्त धरोहर-धनराशि अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ के शासदनादेश सं0 8/2017/836/ 23-7-17-176(सा.)/06 दिनांक 8-6-2017 पैरा-19 के अनुसार देय होगी।
- 18) हॉटमिक्स प्लांट से कराये जाने वाले बिटुमिन कार्य/सीमेन्ट कंक्रीट के कार्यों हेतु आर0एम0सी0 प्लांट, अन्य मशीनरी का स्वामित्व अथवा लीज एग्रीमेन्ट होना अनिवार्य है।
- 19) अन्य नियम व शर्तें गीडा/लोक निर्माण विभाग के अनुरूप होंगी जिन्हें किसी भी कार्य दिवस में गीडा अभियन्त्रण अनुभाग में देखी व जानी जा सकती हैं।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक: 2099 /अभि0नि0-6/सिविल/निविदा/गीडा/2024-25, दिनांक: 07- /अगस्त ,2024

प्रतिलिपि :-

- 1- उप जिलाधिकारी/विशेष कार्याधिकारी को सूचनार्थ।
- 2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- प्रबन्धक (सिविल) गीडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 5- गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 6- सम्बन्धित पत्रावली/गार्ड फाईल।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर

दूरभाष-(0551) 2580010, 2580090 फैक्स. (0551) 2580020

ई-निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा गीडा/केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों एवं अर्द्धसरकारी उपक्रमों में सिविल निर्माण कार्य हेतु कॉलम नं० 7 के अनुसार अर्ह श्रेणी में पंजीकृत फर्म/टेकेदार से ऑन लाईन ई-निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-विड्स सिस्टम द्वारा ई-निविदा दिनांक 12.08.24 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनांक 02.09.24 को अपराह्न 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है एवं दिनांक 30.08.24 सायं 4:00 बजे प्री-बिड बैठक होगी। दिनांक 02.09.24 को अपराह्न 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (रु० लाख में) (जी.एस.टी. अतिरिक्त)	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी.एस.टी. सहित)	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गीडा सेक्टर 13 में स्थित महाशक्ति फूड उद्योग के सामने स्थित 30 मीटर रोड के सेन्ट्रल वर्ज के साथ चौड़ीकरण एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	399.86	22.00	(निविदा मूल्य + जी. एस.टी.) रु० 2950.00	09 माह	'ए'	आन-लाईन

नोट— कृपया निविदा प्रपत्र इत्यादि के सम्बंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 30.08.24 तक कोई भी शुद्धि पत्र नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> से प्राप्त की जा सकती है।

नियम एवं शर्तें:-

- 1) निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य तथा धरोहर धनराशि "गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या-740901000088, IFSC कोड- ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा-तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No./Transaction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- 2) निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी।
- 3) ITB क्लाज 4.4 बी के अनुसार निविदा के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में रु० 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण-पत्र मूल रूप में "मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा गोरखपुर" को सम्बोधित करते हुए निविदा की अन्तिम तिथि के पूर्व एवं निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराइज्ड मूल रूप से आनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

19

- i) ऐसे निविदादाता जिसका सगा-सम्बन्धी (defined as first blood relations, and their spouses) जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी/अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/सहायक प्रबन्धक/प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर आसीन हों, को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्तेदारों का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जोकि गीडा/खण्ड अथवा वृत्त में कार्यरत है।
- ii) ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेगें, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- iii) कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है, उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4) प्रत्येक बिडर्स को रू0 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर के शपथ-पत्र पर सभी सूचनाएँ निर्धारित प्रपत्रों पर ऑन-लाईन अपलोड करना अनिवार्य है, जिससे कि निविदादाता की बिड्स कैपेसिटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता)/परीक्षण/ऑकलित हो सकें:-
 - i) प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को सभी सूचनाएँ/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे-टी-4(चरित्र प्रमाण पत्र), टी-5 (हैसियत प्रमाण पत्र) की सत्यापित छायाप्रति एवं टी-6 (शपथ पत्र) मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर नोटराइज्ड होना) प्रत्येक निविदा के साथ, शा0सं0 2572/23-7-2014-176 (सामान्य)/06टी0सी0 दिनांक 23 सितम्बर 2014 के क्रम में अपलोड करना अनिवार्य है।
 - ii) लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 836/23-7-17-176(सा0)/06 दिनांक 08 जून 2017 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार टेन्डर/कार्य में पारदर्शिता एवं सूचिता लाने तथा माफिया गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने एवं माफिया गतिविधियों, गैंगेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलग्न हों, उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हों उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित होगा एवं उसे ठेका भी नहीं दिया जायेगा। साथ ही जो ठेकेदार पूर्व में लो0नि0वि0 अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड श्रेणी में आते हैं वो भी ठेके में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हें कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा इस सम्बन्ध में निविदा के साथ शपथ पत्र (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना होगा।
- 5) (clause 4.4A(a)) - निविदादाता द्वारा विगत 05 वित्तीय वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में निविदा धनराशि के समान धनराशि (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का टर्नओवर प्राप्त किया होना चाहिए। टर्न ओवर हेतु सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट एवं विगत 05 वित्तीय वर्षों का आई0टी0आर0 तथा नवीनतम वैध चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 का पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 6) विगत 05 वित्तीय वर्षों में किये गये कार्य के अनुभव के सम्बन्ध में :- (clause 4.4A (b)) - निविदादाता द्वारा मुख्य ठेकेदार के रूप में विगत 05 वित्तीय वर्षों में समान प्रकृति का निविदा धनराशि की कम से कम एक तिहाई लागत (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का 01 कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण किया गया हो। सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 7) निविदादाता द्वारा स्वीकृत आगणन दरों से कम दर अंकित करने पर नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा तथा जमा की गयी परफार्मेंस सिक्योरिटी संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
- 8) निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंकों में निर्धारित स्थान पर अंकित होने चाहिए। एक/समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।
- 9) निविदा स्वीकृति के पश्चात निविदा कार्य की कार्यदेश आदेश प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है अन्यथा विलम्ब के लिए रू0 1000 प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति पत्र की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

- 10) निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात 24 माह के अन्दर कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को दूर करना ठेकेदार/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 11) ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुये संतोषजनक उत्तर देने पर समय वृद्धि अथवा संतोषजनक कारण न होने पर अनुबंध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक आर्थिक दण्ड लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।
- 12) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी। यदि निविदा की दरें अव्यवहारिक पायी जाती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कार्यहित में निविदा को निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी में निहित होगा।
- 13) ठेकेदार द्वारा मानकों के अनुसार कराये गये कार्यों का समय-समय पर भुगतान किया जायेगा एवं पूर्व गठित तकनीकी जांच समिति अथवा गुणवत्ता जाँच थर्ड पार्टी की संस्तुति के पश्चात ही अन्तिम भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- 14) निविदादाता द्वारा संलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर निविदाकार को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 15) ई-निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा। पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नहीं होगा।
- 16) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- 17) (i) जी0एस0टी0 एवं अन्य करों की देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।
 ii) निविदादाता सम्पूर्ण आवश्यक प्रचलित दरों के दृष्टिगत निविदा की दरों को कोट करना सुनिश्चित करेंगे।
 iii) निविदा स्वीकृति के समय ठेकेदार को अतिरिक्त धरोहर-धनराशि अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ के शासदनादेश सं0 8/2017/836/ 23-7-17-176(सा.)/06 दिनांक 8-6-2017 पैरा-19 के अनुसार देय होगी।
- 18) हॉटमिक्स प्लान्ट से कराये जाने वाले बिटुमिन कार्य/सीमेन्ट कंक्रीट के कार्यों हेतु आर0एम0सी0 प्लान्ट, अन्य मशीनरी का स्वामित्व अथवा लीज एग्रीमेन्ट होना अनिवार्य है।
- 19) अन्य नियम व शर्तें गीडा/लोक निर्माण विभाग के अनुरूप होंगी जिन्हें किसी भी कार्य दिवस में गीडा अभियन्त्रण अनुभाग में देखी व जानी जा सकती हैं।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक: 2061 /अभि0नि0-6/सिविल/निविदा/गीडा/2024-25, दिनांक: 06- /अगस्त, 2024

प्रतिलिपि :-

- 1- उप जिलाधिकारी/विशेष कार्याधिकारी को सूचनार्थ।
- 2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- प्रबन्धक (सिविल) गीडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 5- गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 6- सम्बन्धित पत्रावली/गार्ड फाईल।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर

दूरभाष-(0551) 2580010, 2580090 फ़ैक्स. (0551) 2580020

ई-निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) द्वारा गीडा/केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों एवं अर्द्धसरकारी उपक्रमों में सिविल निर्माण कार्य हेतु कॉलम न0 7 के अनुसार अर्ह श्रेणी में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार से आन लाईन ई-निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-विड्स सिस्टम द्वारा दिनांक 12.08.24 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनांक 20.08.24 को अपराह्न 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है एवं दिनांक — सायं 4:00 बजे प्री-बिड बैठक होगी। दिनांक 20.08.24 को अपराह्न 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/ टेक्निकल बिड सेक्टर-7 स्थित गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (रू0 लाख में) (जी.एस. टी. अतिरिक्त)	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी. एस.टी. सहित)	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गीडा परिक्षेत्र के सेक्टर-26 भीटी रावत विस्तारीकरण के अन्तर्गत बाहरी मार्गों पर यातायात सुरक्षा हेतु "W" Metal Beam Crash Barrier" लगाने का कार्य।	24.23	2.43	(निविदा मूल्य + जी.एस.टी) रू0 1770.00	03 माह	A/B/C	आन- लाईन

नोट— कृपया निविदा प्रपत्र इत्यादि के सम्बंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 16.08.24 तक कोई भी शुद्धि पत्र नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> से प्राप्त की जा सकती है।

नियम एवं शर्तें:—

- 1) निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य तथा धरोहर धनराशि "गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या-740901000088, IFSC कोड- ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा-तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No./ Transaction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

- 2) निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी।
- 3) ITB क्लॉज 4.4 बी के अनुसार निविदा के साथ दिये गये सभी प्रपत्र की सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण-पत्र मूल रूप में "मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा गोरखपुर" को सम्बोधित करते हुए निविदा की अन्तिम तिथि के पूर्व एवं निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराइज्ड मूल रूप से आनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
 - i) ऐसे निविदादाता जिनके सगे-सम्बन्धी (defined as first blood relations, and their spouses) जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी/अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/सहायक प्रबन्धक/प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर आसीन होंगे, को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्तेदारों का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जोकि खण्ड अथवा वृत्त में कार्यरत है।
 - ii) ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति, बिना राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति के, नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेंगे, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
 - iii) कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है, उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4) प्रत्येक बिडर्स को रू0 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर के शपथ-पत्र पर सभी सूचनाएँ यथा-वर्तमान में चल रहे कार्य आदि निर्धारित प्रपत्रों पर ऑन-लाईन अपलोड करना अनिवार्य है, जिससे कि निविदादाता की बिड्स कैपेसिटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता) का आंकलन/परीक्षण किया जा सकें:-
 - i) प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को सभी सूचनाएँ/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे-टी-4(चरित्र प्रमाण पत्र), टी-5 (हैसियत प्रमाण पत्र) की सत्यापित छायाप्रति एवं टी-6 (शपथ पत्र) मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर नोटराइज्ड होना) प्रत्येक निविदा के साथ, शा0सं0 2572/23-7-2014-176 (सामान्य)/06टी0सी0 दिनांक 23 सितम्बर 2014 के क्रम में अपलोड करना अनिवार्य है।
 - ii) लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 836/23-7-17-176(सा0)/06 दिनांक 08 जून 2017 को बिन्दु संख्या 2 के अनुसार टेन्डर/कार्य में पारदर्शिता एवं सूचिता लाने तथा माफिया गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने एवं माफिया गतिविधियों, गैंगेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलिप्त हो उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त हों, उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित होगा। साथ ही जो ठेकेदार पूर्व में लो0नि0वि0 अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड श्रेणी में आते हैं वो भी ठेके में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हें कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा इस सम्बन्ध में निविदा के साथ शपथ पत्र (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना होगा।
- 5) (i) (clause 3.4A(a)) - निविदादाता द्वारा विगत 05 वित्तीय वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में निविदा धनराशि के समान धनराशि (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का टर्नओवर प्राप्त किया होना चाहिए। टर्न ओवर हेतु सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट एवं विगत 05 वित्तीय वर्षों का आई0टी0आर0 भी संलग्न करना होगा।

(2)

- (ii) सभी श्रेणी के निविदादाताओं द्वारा नवीनतम वैध चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड, आधार कार्ड तथा जी0एस0टी0 का पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 6) विगत 05 वित्तीय वर्षों में किये गये कार्य के अनुभव के सम्बन्ध में : —
- (clause 3.4A (b)) - निविदादाता द्वारा मुख्य ठेकेदार के रूप में विगत 05 वित्तीय वर्षों में समान प्रकृति का निविदा धनराशि की कम से कम एक तिहाई लागत (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का 01 कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण किया गया हो। सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 7) निविदादाता द्वारा कम रेट अंकित करने पर नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा तथा जमा की गयी परफार्मेंस सिक्योरिटी संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी।
- 8) निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंकों में निर्धारित स्थान पर अंकित होने चाहिए। एक/समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।
- 9) निविदा स्वीकृति के पश्चात निविदा कार्य का कार्यदेश, आदेश प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर, समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है, अन्यथा विलम्ब के लिए रु0 1000/- प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति पत्र की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- 10) निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात 24 माह के अन्दर कार्य में किसी प्रकार की कमीं पाये जाने पर कमीं को दूर करना ठेकेदार/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 11) ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुये संतोषजनक उत्तर देने पर समय वृद्धि अथवा संतोषजनक कारण न होने पर अनुबन्ध की धनराशि पर 1 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दण्ड शुल्क लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।
- 12) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी। यदि निविदा की दरें अव्यवहारिक पायी जाती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कार्यहित में निविदा को निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी में निहित होगा।
- 13) ठेकेदार द्वारा कराये गये मानकों के अनुसार कार्यों का समय-समय पर भुगतान किया जायेगा एवं पूर्व गठित तकनीकी जांच समिति अथवा गुणवत्ता/मात्रा की जाँच थर्ड पार्टी की संस्तुति के पश्चात ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- 14) निविदादाता द्वारा संलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर निविदाकार को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 15) ई-निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा। पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नहीं होगा।
- 16) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

- 17) (i) जी0एस0टी0 एवं अन्य करों की देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।
ii) निविदादाता सम्पूर्ण आवश्यक प्रचलित दरों के दृष्टिगत निविदा की दरों को कोट करना सुनिश्चित करेंगे।
iii) निविदा स्वीकृति के समय ठेकेदार को अतिरिक्त धरोहर-धनराशि अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ के शासनादेश सं0 8/2017/836/23-7-17-176(सा.)/06 दिनांक 8-6-2017 पैरा-19 के अनुसार देय होगी।
- 18) हॉटमिक्स प्लान्ट से कराये जाने वाले बिटुमिन कार्य/सीमेन्ट कंक्रीट के कार्यों हेतु आर0एम0सी0 प्लान्ट, अन्य मशीनरी का स्वामित्व अथवा लीज एग्रीमेन्ट संलग्न करना अनिवार्य है।
- 19) अन्य नियम व शर्तें गीडा/लोक निर्माण विभाग के अनुरूप होंगी जिन्हें किसी भी कार्य दिवस में गीडा अभियन्त्रण अनुभाग में देखी व जानी जा सकती हैं।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक: 2067 / अभि0नि0-6 / सिविल / निविदा / गीडा / 2024-25, दिनांक: 06 / अगस्त, 2024
प्रतिलिपि :-

- 1- उप जिलाधिकारी/विशेष कार्याधिकारी को सूचनार्थ।
- 2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- प्रबन्धक (सिविल) गीडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 5- गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 6- सम्बन्धित पत्रावली/गार्ड फाईल।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर

दूरभाष-(0551) 2580010, 2580090 फ़ैक्स. (0551) 2580020

ई-निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टर-22 के अन्तर्गत गीडा/केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों एवं अर्द्धसरकारी उपक्रमों में सिविल निर्माण कार्य हेतु कॉलम न0 7 के अनुसार अर्ह श्रेणी में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार से आन लाईन ई-निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-बिड्स सिस्टम द्वारा ई-निविदा दिनांक 12.08.24 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनांक 20.08.24 को अपरान्ह 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है दिनांक 20.08.24 को अपरान्ह 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (रू0 लाख में) (जी.एस. टी. अतिरिक्त)	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी. एस.टी. सहित)	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गीडा परिक्षेत्र के सेक्टर-22 के अन्तर्गत सड़क की पटरियों एवं नाली/पुलियों की साफ सफाई का कार्य	8.54	0.86	(निविदा मूल्य + जी.एस.टी) रू0 1180.00	02 माह	D/C	आन- लाईन

नोट- कृपया निविदा प्रपत्र इत्यादि के सम्बंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 16.08.24 तक कोई भी शुद्धि पत्र नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> से प्राप्त की जा सकती है।

नियम एवं शर्त:-

- 1) निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य तथा धरोहर धनराशि "गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या-740901000088, IFSC कोड- ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा-तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No./Transaction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- 2) निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी।
- 3) ITB क्लाज 4.4 बी के अनुसार बिड्स के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में निम्न आशय का नान ज्युडिशियल स्टैम्प पेपर पर एक शपथ प्रमाण-पत्र मूल रूप में

24

- 9) निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात 03 माह के अन्दर कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को दूर करना ठेकेदार/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 10) ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुये संतोषजनक उत्तर देने पर समय वृद्धि अथवा सन्तोषजनक कारण न होने पर अनुबंध की धनराशि पर 1 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दण्ड शुल्क लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।
- 11) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी।
- 12) ठेकेदार द्वारा कराये गये मानकों के अनुसार कार्यों का समय-समय पर भुगतान किया जायेगा एवं पूर्व गठित तकनीकी जांच समिति अथवा गुणवत्ता जाँच थर्ड पार्टी की संस्तुति के पश्चात ही अन्तिम भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- 13) निविदादाता द्वारा संलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर निविदाकार को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 14) ई-निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा। पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नहीं होगा।
- 15) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- 16) (i) जी0एस0टी0 एवं अन्य करों की देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।
 ii) निविदादाता सम्पूर्ण आवश्यक प्रचलित दरों के दृष्टिगत निविदा की दरों को कोट करना सुनिश्चित करेंगे।
 iii) निविदा स्वीकृति के समय ठेकेदार को अतिरिक्त धरोहर-धनराशि अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ के शासदनादेश सं0 8/2017/836/ 23-7-17-176 (सा.)/06 दिनांक 8-6-2017 पैरा-19 के अनुसार देय होगी।
- 17) निविदाकार को उपरोक्त कार्य हेतु मशीनरी तथा जे0सी0बी0/ट्रैक्टर ट्राली के स्वामित्व/किरायेदारी के अनुबंध का नोटराइज्ड शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- 18) अन्य नियम व शर्तें गीडा/लोक निर्माण विभाग के अनुरूप होंगीं जिन्हें किसी भी कार्य दिवस में गीडा अभियन्त्रण अनुभाग में देखी व जानी जा सकती हैं।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक: 2076 /अभि0नि0-6/सिविल/निविदा(सि0)/गीडा/2023-24, दिनांक: 06/अगस्त, 2024
 प्रतिलिपि :-

- 1- उप जिलाधिकारी/विशेष कार्याधिकारी को सूचनार्थ।
- 2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- प्रबन्धक (सिविल) गीडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 5- गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 6- सम्बन्धित पत्रावली/गार्ड फाईल।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

25

कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर

दूरभाष-(0551) 2580010, 2580090 फैक्स. (0551) 2580020

ई-निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टर-23 के अन्तर्गत गीडा/केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों एवं अर्द्धसरकारी उपक्रमों में सिविल निर्माण कार्य हेतु कॉलम न0 7 के अनुसार अर्ह श्रेणी में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार से आन लाईन ई-निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-विड्स सिस्टम द्वारा ई-निविदा दिनांक 12.08.24 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनांक 20.08.24 को अपराह्न 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है दिनांक 20.08.24 को अपराह्न 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (रू0 लाख में) (जी.एस. टी. अतिरिक्त)	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी. एस.टी. सहित)	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गीडा परिक्षेत्र के सेक्टर-23 के अन्तर्गत सड़क की पटरियों एवं नाली/पुलियों की साफ सफाई का कार्य	6.10	0.61	(निविदा मूल्य + जी.एस.टी) रू0 1180.00	02 माह	D/C	आन- लाईन

नोट— कृपया निविदा प्रपत्र इत्यादि के सम्बंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 16.08.24 तक कोई भी शुद्धि पत्र नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> से प्राप्त की जा सकती है।

नियम एवं शर्तें:-

- 1) निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य तथा धरोहर धनराशि "गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या-740901000088, IFSC कोड- ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा-तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No./Transaction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- 2) निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी।
- 3) ITB क्लाज 4.4 बी के अनुसार बिड्स के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में निम्न आशय का नान ज्युडिशियल स्टैम्प पेपर पर एक शपथ प्रमाण-पत्र मूल रूप में

26

“मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा, गोरखपुर” को सम्बोधित करते हुए “बिड्स की अन्तिम तिथि के पूर्व का एवं ई-प्रोक्यूरमेंट के अन्तिम समय से पूर्व का होना चाहिए, अपलोड करना होगा:-

- i) ऐसे निविदादाता जिसका सगा-सम्बन्धी (defined as first blood relations, and their spouses) जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी/अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/सहायक प्रबन्धक/प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर आसीन होंगे, को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्तेदारों का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जोकि खण्ड अथवा वृत्त में कार्यरत है।
- ii) ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेगें, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- iii) कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है, उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4) प्रत्येक बिडर्स को निम्न आशय का भी नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर के शपथ-पत्र पर सभी सूचनाएँ निर्धारित प्रपत्रों पर आन-लाईन अपलोड करना अनिवार्य है, जिससे कि निविदादाता की बिड्स कैपेसीटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता)/परीक्षण/ऑकलित हो सकें:-
 - i) प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को सभी सूचनाएँ/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे-टी-4 (चरित्र प्रमाण पत्र), टी-5 (हैसियत प्रमाण पत्र) की सत्यापित छायाप्रति एवं टी-6 (शपथ पत्र) मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराइज्ड होना) प्रत्येक निविदा के साथ, शा0सं0 2572/23-7-2014-176 (सामान्य)/06टी0सी0 दिनांक 23 सितम्बर 2014 के क्रम में अपलोड करना अनिवार्य है।
 - ii) लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 836/23-7-17-176(सा0)/06 दिनांक 08 जून 2017 को बिन्दु संख्या 2 के अनुसार टेन्डर/कार्य में पारदर्शिता एवं सूचिता लाने तथा माफिया गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने एवं माफिया गतिविधियों, गैंगेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलग्न हो उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हों उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित होगा साथ ही उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। साथ ही जो ठेकेदार पूर्व में लो0नि0वि0 अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड श्रेणी में आते हैं वो भी ठेके में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हें कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा इस सम्बन्ध में निविदा के साथ शपथ पत्र (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना होगा।
- 5 (i) सभी श्रेणी के निविदादाताओं द्वारा नवीनतम वैध चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 का पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 6) निविदादाता द्वारा कम रेट अंकित करने पर नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा तथा जमा की गयी परफार्मेंस सिक्योरिटी संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
- 7) निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंकों में निर्धारित स्थान पर अंकित होने चाहिए। एक/समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।
- 8) निविदा स्वीकृति के पश्चात निविदा कार्य की कार्यदेश आदेश प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है अन्यथा विलम्ब के लिए रू0 1000 प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति पत्र की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

- 9) निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात 03 माह के अन्दर कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को दूर करना ठेकेदार/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 10) ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुये संतोषजनक उत्तर देने पर समय वृद्धि अथवा सन्तोषजनक कारण न होने पर अनुबंध की धनराशि पर 1 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दण्ड शुल्क लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।
- 11) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी।
- 12) ठेकेदार द्वारा कराये गये मानकों के अनुसार कार्यों का समय-समय पर भुगतान किया जायेगा एवं पूर्व गठित तकनीकी जांच समिति अथवा गुणवत्ता जाँच थर्ड पार्टी की संस्तुति के पश्चात ही अन्तिम भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- 13) निविदादाता द्वारा संलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर निविदाकार को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 14) ई-निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा। पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नहीं होगा।
- 15) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- 16) (i) जी0एस0टी0 एवं अन्य करों की देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।
 ii) निविदादाता सम्पूर्ण आवश्यक प्रचलित दरों के दृष्टिगत निविदा की दरों को कोट करना सुनिश्चित करेंगे।
 iii) निविदा स्वीकृति के समय ठेकेदार को अतिरिक्त धरोहर-धनराशि अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ के शासदनादेश सं0 8/2017/836/ 23-7-17-176 (सा.)/06 दिनांक 8-6-2017 पैरा-19 के अनुसार देय होगी।
- 17) निविदाकार को उपरोक्त कार्य हेतु मशीनरी तथा जे0सी0बी0/ट्रैक्टर ट्राली के स्वामित्व/किरायेदारी के अनुबंध का नोटराइज्ड शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- 18) अन्य नियम व शर्तें गीडा/लोक निर्माण विभाग के अनुरूप होंगीं जिन्हें किसी भी कार्य दिवस में गीडा अभियन्त्रण अनुभाग में देखी व जानी जा सकती हैं।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक: 2077/अभि0नि0-6/सिविल/निविदा(सि0)/गीडा/2023-24, दिनांक: 08/अगस्त, 2023
 प्रतिलिपि :-

- 1- उप जिलाधिकारी/विशेष कार्याधिकारी को सूचनार्थ।
- 2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- प्रबन्धक (सिविल) गीडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 5- गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 6- सम्बन्धित पत्रावली/गार्ड फाईल।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर

दूरभाष-(0551) 2580010, 2580090 फैक्स. (0551) 2580020

ई-निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा गीडा/केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों एवं अर्द्धसरकारी उपक्रमों में सिविल निर्माण कार्य हेतु कॉलम न0 7 के अनुसार अर्ह श्रेणी में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार से ऑन लाईन ई-निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-विड्स सिस्टम द्वारा ई-निविदा दिनांक 12.08.24 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनांक 02.09.24 को अपराह्न 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है एवं दिनांक 30.08.24 सायं 4:00 बजे प्री-बिड बैठक होगी। दिनांक 02.09.24 को अपराह्न 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (रु0 लाख में) (जी.एस.टी. अतिरिक्त)	धरोहर धनराशि (रु0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी.एस.टी. सहित)	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गीडा सेक्टर 13 में ए0आर0पी0 रोड से आगे आवंटित शेड के सामने स्थित सड़क के उच्चिकरण/सुदृढीकरण एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	66.46	5.33	(निविदा मूल्य + जी.एस.टी.) रु0 2950.00	09 माह	'ए'	आन- लाईन

नोट- कृपया निविदा प्रपत्र इत्यादि के सम्बंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 30.08.24 तक कोई भी शुद्धि पत्र नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> से प्राप्त की जा सकती है।

नियम एवं शर्तें:-

- 1) निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य तथा धरोहर धनराशि "गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या-740901000088, IFSC कोड- ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा-तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No./Transaction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- 2) निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी।
- 3) ITB क्लाज 4.4 बी के अनुसार निविदा के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में रु0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण-पत्र मूल रूप में "मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा गोरखपुर" को सम्बोधित करते हुए निविदा की अन्तिम तिथि के पूर्व एवं निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराइज्ड मूल रूप से आनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

- i) ऐसे निविदादाता जिसका सगा-सम्बन्धी (defined as first blood relations, and their spouses) जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी/अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/सहायक प्रबन्धक/प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर आसीन होंगे, को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्तेदारों का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जोकि गीडा/खण्ड अथवा वृत्त में कार्यरत है।
- ii) ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेंगे, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- iii) कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है, उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4) प्रत्येक बिडर्स को रू0 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर के शपथ-पत्र पर सभी सूचनाएँ निर्धारित प्रपत्रों पर ऑन-लाईन अपलोड करना अनिवार्य है, जिससे कि निविदादाता की बिड्स कैपेसिटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता)/परीक्षण/आँकलित हो सकें:-
 - i) प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को सभी सूचनाएँ/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे-टी-4(चरित्र प्रमाण पत्र), टी-5 (हैसियत प्रमाण पत्र) की सत्यापित छायाप्रति एवं टी-6 (शपथ पत्र) मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर नोटराइज्ड होना) प्रत्येक निविदा के साथ, शा0सं0 2572/23-7-2014-176 (सामान्य)/06टी0सी0 दिनांक 23 सितम्बर 2014 के क्रम में अपलोड करना अनिवार्य है।
 - ii) लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 836/23-7-17-176(सा0)/06 दिनांक 08 जून 2017 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार टेन्डर/कार्य में पारदर्शिता एवं सूचिता लाने तथा माफिया गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने एवं माफिया गतिविधियों, गैंगेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलग्न हो, उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हों उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित होगा एवं उसे ठेका भी नहीं दिया जायेगा। साथ ही जो ठेकेदार पूर्व में लो0नि0वि0 अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड श्रेणी में आते हैं वो भी ठेके में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हें कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा इस सम्बन्ध में निविदा के साथ शपथ पत्र (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना होगा।
- 5) (clause 4.4A(a)) - निविदादाता द्वारा विगत 05 वित्तीय वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में निविदा धनराशि के समान धनराशि (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का टर्नओवर प्राप्त किया होना चाहिए। टर्न ओवर हेतु सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट एवं विगत 05 वित्तीय वर्षों का आई0टी0आर0 तथा नवीनतम वैध चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 का पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 6) विगत 05 वित्तीय वर्षों में किये गये कार्य के अनुभव के सम्बन्ध में :- (clause 4.4A (b)) - निविदादाता द्वारा मुख्य ठेकेदार के रूप में विगत 05 वित्तीय वर्षों में समान प्रकृति का निविदा धनराशि की कम से कम एक तिहाई लागत (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का 01 कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण किया गया हो। सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 7) निविदादाता द्वारा स्वीकृत आगणन दरों से कम दर अंकित करने पर नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा तथा जमा की गयी परफार्मेंस सिक्योरिटी संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
- 8) निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंकों में निर्धारित स्थान पर अंकित होने चाहिए। एक/समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।
- 9) निविदा स्वीकृति के पश्चात निविदा कार्य की कार्यदेश आदेश प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है अन्यथा विलम्ब के लिए रू0 1000 प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति पत्र की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

- 10) निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात 24 माह के अन्दर कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को दूर करना ठेकेदार/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 11) ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुये संतोषजनक उत्तर देने पर समय वृद्धि अथवा सन्तोषजनक कारण न होने पर अनुबंध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक आर्थिक दण्ड लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।
- 12) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी। यदि निविदा की दरें अव्यवहारिक पायी जाती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कार्यहित में निविदा को निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी में निहित होगा।
- 13) ठेकेदार द्वारा मानकों के अनुसार कराये गये कार्यों का समय-समय पर भुगतान किया जायेगा एवं पूर्ण गठित तकनीकी जांच समिति अथवा गुणवत्ता जाँच थर्ड पार्टी की संस्तुति के पश्चात ही अन्तिम भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- 14) निविदादाता द्वारा संलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर निविदाकार को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 15) ई-निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा। पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नहीं होगा।
- 16) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- 17) (i) जी0एस0टी0 एवं अन्य करों की देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।
ii) निविदादाता सम्पूर्ण आवश्यक प्रचलित दरों के दृष्टिगत निविदा की दरों को कोट करना सुनिश्चित करेंगे।
iii) निविदा स्वीकृति के समय ठेकेदार को अतिरिक्त धरोहर-धनराशि अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ के शासनादेश सं0 8/2017/836/ 23-7-17-176(सा.)/06 दिनांक 8-6-2017 पैरा-19 के अनुसार देय होगी।
- 18) हॉटमिक्स प्लान्ट से कराये जाने वाले बिटुमिन कार्य/सीमेन्ट कंक्रीट के कार्यों हेतु आर0एम0सी0 प्लान्ट, अन्य मशीनरी का स्वामित्व अथवा लीज एग्रीमेन्ट होना अनिवार्य है।
- 19) अन्य नियम व शर्तें गीडा/लोक निर्माण विभाग के अनुरूप होंगी जिन्हें किसी भी कार्य दिवस में गीडा अभियन्त्रण अनुभाग में देखी व जानी जा सकती हैं।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक: 2/00 /अभि0नि0-6/सिविल/निविदा/गीडा/2024-25, दिनांक: 07- /अगस्त ,2024

प्रतिलिपि :-

- 1- उप जिलाधिकारी/विशेष कार्याधिकारी को सूचनार्थ।
- 2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- प्रबन्धक (सिविल) गीडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाईट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 5- गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 6- सम्बन्धित पत्रावली/गार्ड फाईल।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर

दूरभाष-(0551) 2580010, 2580090 फ़ैक्स. (0551) 2580020

ई-निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा गीडा/केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों एवं अर्द्धसरकारी उपक्रमों में सिविल निर्माण कार्य हेतु कॉलम नं० 7 के अनुसार अर्ह श्रेणी में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार से ऑन लाईन ई-निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-बिड्स सिस्टम द्वारा ई-निविदा दिनांक 12-08-24 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनांक 02-09-24 को अपराह्न 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है एवं दिनांक 30-08-24 सायं 4:00 बजे प्री-बिड बैठक होगी। दिनांक 02-09-24 को अपराह्न 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (रु० लाख में) (जी.एस.टी. अतिरिक्त)	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी.एस.टी. सहित)	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गीडा परिक्षेत्र के सेक्टर 15 में छूटी हुई सड़क व नाली एवं पुलिया का निर्माण का कार्य।	134.41	8.73	(निविदा मूल्य + जी. एस.टी.) रु० 2950.00	09 माह	'ए'	आन-लाईन

नोट- कृपया निविदा प्रपत्र इत्यादि के सम्बंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 30-08-24 तक कोई भी शुद्धि पत्र नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> से प्राप्त की जा सकती है।

नियम एवं शर्त:-

- 1) निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य तथा धरोहर धनराशि "गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या-740901000088, IFSC कोड- ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा-तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No./Transaction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- 2) निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी।
- 3) ITB क्लाज 4.4 बी के अनुसार निविदा के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में रु० 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण-पत्र मूल रूप में "मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा गोरखपुर" को सम्बोधित करते हुए निविदा की अन्तिम तिथि के पूर्व एवं निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराइज्ड मूल रूप से आनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

32

- i) ऐसे निविदादाता जिसका सगा-सम्बन्धी (defined as first blood relations, and their spouses) जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी/अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/सहायक प्रबन्धक/प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर आसीन होंगे, को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्तेदारों का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जोकि गीडा/खण्ड अथवा वृत्त में कार्यरत है।
- ii) ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेगें, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- iii) कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है, उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4) प्रत्येक बिडर्स को रू0 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर के शपथ-पत्र पर सभी सूचनाएँ निर्धारित प्रपत्रों पर ऑन-लाईन अपलोड करना अनिवार्य है, जिससे कि निविदादाता की बिड्स कैपेसिटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता)/परीक्षण/ऑकलित हो सकें:-
 - i) प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को सभी सूचनाएँ/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे-टी-4(चरित्र प्रमाण पत्र),टी-5 (हैसियत प्रमाण पत्र) की सत्यापित छायाप्रति एवं टी-6 (शपथ पत्र) मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर नोटराइज्ड होना) प्रत्येक निविदा के साथ, शा0सं0 2572/23-7-2014-176 (सामान्य)/06टी0सी0 दिनांक 23 सितम्बर 2014 के क्रम में अपलोड करना अनिवार्य है।
 - ii) लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 836/23-7-17-176(सा0)/06 दिनांक 08 जून 2017 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार टेन्डर/कार्य में पारदर्शिता एवं सूचिता लाने तथा माफिया गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने एवं माफिया गतिविधियों, गैंगेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलग्न हो, उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हों उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित होगा एवं उसे ठेका भी नहीं दिया जायेगा। साथ ही जो ठेकेदार पूर्व में लो0नि0वि0 अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड श्रेणी में आते हैं वो भी ठेके में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हें कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा इस सम्बन्ध में निविदा के साथ शपथ पत्र (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना होगा।
- 5) (clause 4.4A(a)) - निविदादाता द्वारा विगत 05 वित्तीय वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में निविदा धनराशि के समान धनराशि (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का टर्नओवर प्राप्त किया होना चाहिए। टर्न ओवर हेतु सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट एवं विगत 05 वित्तीय वर्षों का आई0टी0आर0 तथा नवीनतम वैध चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 का पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 6) विगत 05 वित्तीय वर्षों में किये गये कार्य के अनुभव के सम्बन्ध में :- (clause 4.4A (b)) - निविदादाता द्वारा मुख्य ठेकेदार के रूप में विगत 05 वित्तीय वर्षों में समान प्रकृति का निविदा धनराशि की कम से कम एक तिहाई लागत (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का 01 कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण किया गया हो। सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 7) निविदादाता द्वारा स्वीकृत आगणन दरों से कम दर अंकित करने पर नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात् ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा तथा जमा की गयी परफार्मेंस सिक्योरिटी संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
- 8) निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंकों में निर्धारित स्थान पर अंकित होने चाहिए। एक/समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।
- 9) निविदा स्वीकृति के पश्चात् निविदा कार्य की कार्यादेश आदेश प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है अन्यथा विलम्ब के लिए रू0 1000 प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति पत्र की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

- 10) निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात 24 माह के अन्दर कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को दूर करना ठेकेदार/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 11) ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुये संतोषजनक उत्तर देने पर समय वृद्धि अथवा सन्तोषजनक कारण न होने पर अनुबंध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक आर्थिक दण्ड लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।
- 12) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी। यदि निविदा की दरें अव्यवहारिक पायी जाती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कार्यहित में निविदा को निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी में निहित होगा।
- 13) ठेकेदार द्वारा मानकों के अनुसार कराये गये कार्यों का समय-समय पर भुगतान किया जायेगा एवं पूर्व गठित तकनीकी जांच समिति अथवा गुणवत्ता जाँच थर्ड पार्टी की संस्तुति के पश्चात ही अन्तिम भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- 14) निविदादाता द्वारा संलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर निविदाकार को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 15) ई-निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा। पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नहीं होगा।
- 16) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- 17) (i) जी0एस0टी0 एवं अन्य करों की देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।
 ii) निविदादाता सम्पूर्ण आवश्यक प्रचलित दरों के दृष्टिगत निविदा की दरों को कोट करना सुनिश्चित करेंगे।
 iii) निविदा स्वीकृति के समय ठेकेदार को अतिरिक्त धरोहर-धनराशि अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ के शासदनादेश सं0 8/2017/836/ 23-7-17-176(सा.)/06 दिनांक 8-6-2017 पैरा-19 के अनुसार देय होगी।
- 18) हॉटमिक्स प्लान्ट से कराये जाने वाले बिटुमिन कार्य/सीमेन्ट कंक्रीट के कार्यों हेतु आर0एम0सी0 प्लान्ट, अन्य मशीनरी का स्वामित्व अथवा लीज एग्रीमेन्ट होना अनिवार्य है।
- 19) अन्य नियम व शर्तें गीडा/लोक निर्माण विभाग के अनुरूप होंगी जिन्हें किसी भी कार्य दिवस में गीडा अभियन्त्रण अनुभाग में देखी व जानी जा सकती हैं।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक: 2073 /अभि0नि0-6/सिविल/निविदा/गीडा/2024-25, दिनांक: 06- /अगस्त, 2024

प्रतिलिपि :-

- 1- उप जिलाधिकारी/विशेष कार्याधिकारी को सूचनार्थ।
- 2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- प्रबन्धक (सिविल) गीडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 5- गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 6- सम्बन्धित पत्रावली/गार्ड फाईल।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

34

कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर

दूरभाष-(0551) 2580010, 2580090 फ़ैक्स. (0551) 2580020

ई-निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा गीडा/केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों एवं अर्द्धसरकारी उपक्रमों में सिविल निर्माण कार्य हेतु कॉलम न0 7 के अनुसार अर्ह श्रेणी में पंजीकृत फर्म/टेकेदार से ऑन लाईन ई-निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-विड्स सिस्टम द्वारा ई-निविदा दिनांक 12.08.24 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनांक 02.09.24 को अपराह्न 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है एवं दिनांक 30.08.24 सायं 4:00 बजे प्री-बिड बैठक होगी। दिनांक 02.09.24 को अपराह्न 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (रु0 लाख में) (जी.एस.टी. अतिरिक्त)	धरोहर धनराशि (रु0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी.एस.टी. सहित)	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गीडा के सेक्टर 11 व 13 ग्राम कालेसर में स्थित सेक्टर रोडा (50 मी0) के सेन्ट्रल वर्ज के साथ चौड़ीकरण एवं इण्टरलाकिंग का कार्य	213.02	12.66	(निविदा मूल्य + जी.एस.टी) रु0 2950.00	09 माह	'ए'	आन- लाईन

नोट— कृपया निविदा प्रपत्र इत्यादि के सम्बंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 30.08.24 तक कोई भी शुद्धि पत्र नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> से प्राप्त की जा सकती है।

नियम एवं शर्तें:-

- 1) निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य तथा धरोहर धनराशि "गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या-740901000088, IFSC कोड- ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा-तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No./Transaction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- 2) निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी।
- 3) ITB क्लाज 4.4 बी के अनुसार निविदा के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में रु0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण-पत्र मूल रूप में "मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा गोरखपुर" को सम्बोधित करते हुए निविदा की अन्तिम तिथि के पूर्व एवं निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराइज्ड मूल रूप से आनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

35

- i) ऐसे निविदादाता जिसका सगा-सम्बन्धी (defined as first blood relations, and their spouses) जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी/अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/सहायक प्रबन्धक/प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर आसीन हों, को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्तेदारों का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जोकि गीडा/खण्ड अथवा वृत्त में कार्यरत है।
- ii) ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेगें, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- iii) कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है, उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4) प्रत्येक बिडर्स को रु0 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर के शपथ-पत्र पर सभी सूचनाएँ निर्धारित प्रपत्रों पर ऑन-लाईन अपलोड करना अनिवार्य है, जिससे कि निविदादाता की बिड्स कैपेसिटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता)/परीक्षण/ऑकलित हो सकें:-
- i) प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को सभी सूचनाएँ/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे-टी-4(चरित्र प्रमाण पत्र), टी-5 (हैसियत प्रमाण पत्र) की सत्यापित छायाप्रति एवं टी-6 (शपथ पत्र) मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर नोटराइज्ड होना) प्रत्येक निविदा के साथ, शा0सं0 2572/23-7-2014-176 (सामान्य)/06टी0सी0 दिनांक 23 सितम्बर 2014 के क्रम में अपलोड करना अनिवार्य है।
- ii) लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 836/23-7-17-176(सा0)/06 दिनांक 08 जून 2017 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार टेन्डर/कार्य में पारदर्शिता एवं सूचिता लाने तथा माफिया गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने एवं माफिया गतिविधियों, गैंगेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलग्न हो, उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हों उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित होगा एवं उसे ठेका भी नहीं दिया जायेगा। साथ ही जो ठेकेदार पूर्व में लो0नि0वि0 अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड श्रेणी में आते हैं वो भी ठेके में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हें कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा इस सम्बन्ध में निविदा के साथ शपथ पत्र (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना होगा।
- 5) (clause 4.4A(a)) - निविदादाता द्वारा विगत 05 वित्तीय वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में निविदा धनराशि के समान धनराशि (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का टर्नओवर प्राप्त किया होना चाहिए। टर्न ओवर हेतु सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट एवं विगत 05 वित्तीय वर्षों का आई0टी0आर0 तथा नवीनतम वैध चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 का पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 6) विगत 05 वित्तीय वर्षों में किये गये कार्य के अनुभव के सम्बन्ध में :- (clause 4.4A (b)) - निविदादाता द्वारा मुख्य ठेकेदार के रूप में विगत 05 वित्तीय वर्षों में समान प्रकृति का निविदा धनराशि की कम से कम एक तिहाई लागत (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का 01 कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण किया गया हो। सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 7) निविदादाता द्वारा स्वीकृत आगणन दरों से कम दर अंकित करने पर नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा तथा जमा की गयी परफार्मेंस सिक्योरिटी संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
- 8) निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंकों में निर्धारित स्थान पर अंकित होने चाहिए। एक/समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।
- 9) निविदा स्वीकृति के पश्चात निविदा कार्य की कार्यदेश आदेश प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है अन्यथा विलम्ब के लिए रु0 1000 प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति पत्र की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

- 10) निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात 24 माह के अन्दर कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को दूर करना ठेकेदार/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 11) ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुये संतोषजनक उत्तर देने पर समय वृद्धि अथवा सन्तोषजनक कारण न होने पर अनुबंध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक आर्थिक दण्ड लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।
- 12) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी। यदि निविदा की दरें अव्यवहारिक पायी जाती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कार्यहित में निविदा को निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी में निहित होगा।
- 13) ठेकेदार द्वारा मानकों के अनुसार कराये गये कार्यों का समय-समय पर भुगतान किया जायेगा एवं पूर्व गठित तकनीकी जांच समिति अथवा गुणवत्ता जाँच थर्ड पार्टी की संस्तुति के पश्चात ही अन्तिम भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- 14) निविदादाता द्वारा संलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर निविदाकार को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 15) ई-निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा। पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नहीं होगा।
- 16) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- 17) (i) जी0एस0टी0 एवं अन्य करों की देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।
ii) निविदादाता सम्पूर्ण आवश्यक प्रचलित दरों के दृष्टिगत निविदा की दरों को कोट करना सुनिश्चित करेंगे।
iii) निविदा स्वीकृति के समय ठेकेदार को अतिरिक्त धरोहर-धनराशि अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ के शासदनादेश सं0 8/2017/836/ 23-7-17-176(सा.)/06 दिनांक 8-6-2017 पैरा-19 के अनुसार देय होगी।
- 18) हॉटमिक्स प्लान्ट से कराये जाने वाले बिटुमिन कार्य/सीमेन्ट कंक्रीट के कार्यों हेतु आर0एम0सी0 प्लान्ट, अन्य मशीनरी का स्वामित्व अथवा लीज एग्रीमेन्ट होना अनिवार्य है।
- 19) अन्य नियम व शर्तें गीडा/लोक निर्माण विभाग के अनुरूप होंगी जिन्हें किसी भी कार्य दिवस में गीडा अभियन्त्रण अनुभाग में देखी व जानी जा सकती हैं।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक: 2060 /अभि0नि0-6/सिविल/निविदा/गीडा/2024-25, दिनांक: 06- /अगस्त ,2024
प्रतिलिपि :-

- 1- उप जिलाधिकारी/विशेष कार्याधिकारी को सूचनार्थ।
- 2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- प्रबन्धक (सिविल) गीडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाईट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 5- गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 6- सम्बन्धित पत्रावली/गार्ड फाईल।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

37

कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर

दूरभाष-(0551) 2580010, 2580090 फ़ैक्स. (0551) 2580020

ई-निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा गीडा/केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों एवं अर्द्धसरकारी उपक्रमों में सिविल निर्माण कार्य हेतु कॉलम न0 7 के अनुसार अर्ह श्रेणी में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार से ऑन लाईन ई-निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-विड्स सिस्टम द्वारा ई-निविदा दिनांक 12.08.24 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनांक 02.09.24 को अपराह्न 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है एवं दिनांक 30.08.24 सायं 4:00 बजे प्री-बिड बैठक होगी। दिनांक 02.09.24 को अपराह्न 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (रु0 लाख में) (जी.एस.टी. अतिरिक्त)	धरोहर धनराशि (रु0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी.एस.टी. सहित)	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गीडा परिक्षेत्र के सेक्टर 7 में गीडा आफिस बिल्डिंग के पश्चिम में स्थित 20 मीटर रोड के विस्तार के अन्तर्गत सड़क, नाली एवं पुलिया का निर्माण कार्य।	378.75	20.94	(निविदा मूल्य + जी. एस.टी.) रु0 2950.00	09 माह	'ए'	आन- लाईन

नोट- कृपया निविदा प्रपत्र इत्यादि के सम्बंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 30.08.24 तक कोई भी शुद्धि पत्र नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> से प्राप्त की जा सकती है।

नियम एवं शर्त:-

- 1) निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य तथा धरोहर धनराशि "गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या-740901000088, IFSC कोड- ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा-तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No./Transaction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- 2) निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी।
- 3) ITB क्लाज 4.4 बी के अनुसार निविदा के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में रु0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण-पत्र मूल रूप में "मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा गोरखपुर" को सम्बोधित करते हुए निविदा की अन्तिम तिथि के पूर्व एवं निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराइज्ड मूल रूप से ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

38

- i) ऐसे निविदादाता जिसका सगा-सम्बन्धी (defined as first blood relations, and their spouses) जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी/अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/सहायक प्रबन्धक/प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर आसीन हों, को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्तेदारों का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जोकि गीडा/खण्ड अथवा वृत्त में कार्यरत है।
- ii) ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेगें, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- iii) कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है, उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4) प्रत्येक बिडर्स को रू0 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर के शपथ-पत्र पर सभी सूचनाएँ निर्धारित प्रपत्रों पर ऑन-लाईन अपलोड करना अनिवार्य है, जिससे कि निविदादाता की बिड्स कैपेसिटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता)/परीक्षण/ऑकलित हो सकें:-
 - i) प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को सभी सूचनाएँ/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे-टी-4(चरित्र प्रमाण पत्र), टी-5 (हैसियत प्रमाण पत्र) की सत्यापित छायाप्रति एवं टी-6 (शपथ पत्र) मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर नोटराइज्ड होना) प्रत्येक निविदा के साथ, शा0सं0 2572/23-7-2014-176 (सामान्य)/06टी0सी0 दिनांक 23 सितम्बर 2014 के क्रम में अपलोड करना अनिवार्य है।
 - ii) लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 836/23-7-17-176(सा0)/06 दिनांक 08 जून 2017 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार टेन्डर/कार्य में पारदर्शिता एवं सूचिता लाने तथा माफिया गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने एवं माफिया गतिविधियों, गैंगेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलग्न हो, उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हों उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित होगा एवं उसे ठेका भी नहीं दिया जायेगा। साथ ही जो ठेकेदार पूर्व में लो0नि0वि0 अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड श्रेणी में आते हैं वो भी ठेके में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हें कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा इस सम्बन्ध में निविदा के साथ शपथ पत्र (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना होगा।
- 5) (clause 4.4A(a)) - निविदादाता द्वारा विगत 05 वित्तीय वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में निविदा धनराशि के समान धनराशि (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का टर्नओवर प्राप्त किया होना चाहिए। टर्न ओवर हेतु सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट एवं विगत 05 वित्तीय वर्षों का आई0टी0आर0 तथा नवीनतम वैध चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 का पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 6) विगत 05 वित्तीय वर्षों में किये गये कार्य के अनुभव के सम्बन्ध में :- (clause 4.4A (b)) - निविदादाता द्वारा मुख्य ठेकेदार के रूप में विगत 05 वित्तीय वर्षों में समान प्रकृति का निविदा धनराशि की कम से कम एक तिहाई लागत (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का 01 कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण किया गया हो। सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 7) निविदादाता द्वारा स्वीकृत आगणन दरों से कम दर अंकित करने पर नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा तथा जमा की गयी परफार्मेंस सिक्योरिटी संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
- 8) निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंकों में निर्धारित स्थान पर अंकित होने चाहिए। एक/समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।
- 9) निविदा स्वीकृति के पश्चात निविदा कार्य की कार्यादेश आदेश प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है अन्यथा विलम्ब के लिए रू0 1000 प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति पत्र की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

- 10) निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात 24 माह के अन्दर कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को दूर करना ठेकेदार/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 11) ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुये संतोषजनक उत्तर देने पर समय वृद्धि अथवा सन्तोषजनक कारण न होने पर अनुबंध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक आर्थिक दण्ड लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।
- 12) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी। यदि निविदा की दरें अव्यवहारिक पायी जाती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कार्यहित में निविदा को निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी में निहित होगा।
- 13) ठेकेदार द्वारा मानकों के अनुसार कराये गये कार्यों का समय-समय पर भुगतान किया जायेगा एवं पूर्व गठित तकनीकी जांच समिति अथवा गुणवत्ता जाँच थर्ड पार्टी की संस्तुति के पश्चात ही अन्तिम भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- 14) निविदादाता द्वारा संलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर निविदाकार को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 15) ई-निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा। पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नहीं होगा।
- 16) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- 17) (i) जी0एस0टी0 एवं अन्य करों की देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।
ii) निविदादाता सम्पूर्ण आवश्यक प्रचलित दरों के दृष्टिगत निविदा की दरों को कोट करना सुनिश्चित करेंगे।
iii) निविदा स्वीकृति के समय ठेकेदार को अतिरिक्त धरोहर-धनराशि अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ के शासदनादेश सं0 8/2017/836/ 23-7-17-176(सा.)/06 दिनांक 8-6-2017 पैरा-19 के अनुसार देय होगी।
- 18) हॉटमिक्स प्लान्ट से कराये जाने वाले बिटुमिन कार्य/सीमेन्ट कंक्रीट के कार्यों हेतु आर0एम0सी0 प्लान्ट, अन्य मशीनरी का स्वामित्व अथवा लीज एग्रीमेन्ट होना अनिवार्य है।
- 19) अन्य नियम व शर्तें गीडा/लोक निर्माण विभाग के अनुरूप होंगी जिन्हें किसी भी कार्य दिवस में गीडा अभियन्त्रण अनुभाग में देखी व जानी जा सकती हैं।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक: 2072 /अभि0नि0-6/सिविल/निविदा/गीडा/2024-25, दिनांक: 06- /अगस्त ,2024

प्रतिलिपि :-

- 1- उप जिलाधिकारी/विशेष कार्याधिकारी को सूचनार्थ।
- 2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- प्रबन्धक (सिविल) गीडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 5- गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 6- सम्बन्धित पत्रावली/गार्ड फाईल।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

40

कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर

दूरभाष-(0551) 2580010, 2580090 फ़ैक्स. (0551) 2580020

ई-निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा गीडा/केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों एवं अर्द्धसरकारी उपक्रमों में सिविल निर्माण कार्य हेतु कॉलम न0 7 के अनुसार अर्ह श्रेणी में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार से ऑन लाईन ई-निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-विड्स सिस्टम द्वारा ई-निविदा दिनांक 12.08.24 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनांक 02.09.24 को अपराह्न 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है एवं दिनांक 30.08.24 सायं 4:00 बजे प्री-बिड बैठक होगी। दिनांक 02.09.24 को अपराह्न 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (रु0 लाख में) (जी.एस.टी. अतिरिक्त)	धरोहर धनराशि (रु0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी. एस.टी. सहित)	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गीडा परिक्षेत्र के सेक्टर-28 में प्लास्टिक के 18मी0 आंतरिक मार्गों की पटरी पर इण्टरलॉकिंग का कार्य।	234.80	13.74	(निविदा मूल्य + जी.एस.टी.) रु0 2950.00	09 माह	'ए'	आन- लाईन

नोट- कृपया निविदा प्रपत्र इत्यादि के सम्बंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 30.08.24 तक कोई भी शुद्धि पत्र नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> से प्राप्त की जा सकती है।

नियम एवं शर्तें:-

- 1) निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य तथा धरोहर धनराशि "गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या-740901000088, IFSC कोड- ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा-तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No./Transaction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- 2) निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी।
- 3) ITB क्लाज 4.4 बी के अनुसार निविदा के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में रु0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण-पत्र मूल रूप में "मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा गोरखपुर" को सम्बोधित करते हुए निविदा की अन्तिम तिथि के पूर्व एवं निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराइज्ड मूल रूप से आनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

41

- i) ऐसे निविदादाता जिसका सगा-सम्बन्धी (defined as first blood relations, and their spouses) जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी/अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/सहायक प्रबन्धक/प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर आसीन होंगे, को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्तेदारों का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जोकि गीडा/खण्ड अथवा वृत्त में कार्यरत है।
- ii) ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेंगे, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- iii) कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है, उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4) प्रत्येक बिडर्स को रू0 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर के शपथ-पत्र पर सभी सूचनाएँ निर्धारित प्रपत्रों पर ऑन-लाईन अपलोड करना अनिवार्य है, जिससे कि निविदादाता की बिड्स कैपेसिटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता)/परीक्षण/आँकलित हो सकें:-
 - i) प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को सभी सूचनाएँ/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे-टी-4(चरित्र प्रमाण पत्र), टी-5 (हैसियत प्रमाण पत्र) की सत्यापित छायाप्रति एवं टी-6 (शपथ पत्र) मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर नोटराइज्ड होना) प्रत्येक निविदा के साथ, शा0सं0 2572/23-7-2014-176 (सामान्य)/06टी0सी0 दिनांक 23 सितम्बर 2014 के क्रम में अपलोड करना अनिवार्य है।
 - ii) लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 836/23-7-17-176(सा0)/06 दिनांक 08 जून 2017 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार टेन्डर/कार्य में पारदर्शिता एवं सूचिता लाने तथा माफिया गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने एवं माफिया गतिविधियों, गैंगेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलग्न हो, उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हों उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित होगा एवं उसे ठेका भी नहीं दिया जायेगा। साथ ही जो ठेकेदार पूर्व में लो0नि0वि0 अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड श्रेणी में आते हैं वो भी ठेके में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हें कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा इस सम्बन्ध में निविदा के साथ शपथ पत्र (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना होगा।
- 5) (clause 4.4A(a)) - निविदादाता द्वारा विगत 05 वित्तीय वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में निविदा धनराशि के समान धनराशि (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का टर्नओवर प्राप्त किया होना चाहिए। टर्न ओवर हेतु सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट एवं विगत 05 वित्तीय वर्षों का आई0टी0आर0 तथा नवीनतम वैध चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 का पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 6) विगत 05 वित्तीय वर्षों में किये गये कार्य के अनुभव के सम्बन्ध में :- (clause 4.4A (b)) - निविदादाता द्वारा मुख्य ठेकेदार के रूप में विगत 05 वित्तीय वर्षों में समान प्रकृति का निविदा धनराशि की कम से कम एक तिहाई लागत (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का 01 कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण किया गया हो। सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 7) निविदादाता द्वारा स्वीकृत आगणन दरों से कम दर अंकित करने पर नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा तथा जमा की गयी परफार्मेंस सिक्योरिटी संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
- 8) निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंकों में निर्धारित स्थान पर अंकित होने चाहिए। एक/समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।
- 9) निविदा स्वीकृति के पश्चात निविदा कार्य की कार्यदेश आदेश प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है अन्यथा विलम्ब के लिए रू0 1000 प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति पत्र की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

- 10) निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात 24 माह के अन्दर कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को दूर करना ठेकेदार/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 11) ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुये संतोषजनक उत्तर देने पर समय वृद्धि अथवा सन्तोषजनक कारण न होने पर अनुबंध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक आर्थिक दण्ड लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।
- 12) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी। यदि निविदा की दरें अव्यवहारिक पायी जाती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कार्यहित में निविदा को निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी में निहित होगा।
- 13) ठेकेदार द्वारा मानकों के अनुसार कराये गये कार्यों का समय-समय पर भुगतान किया जायेगा एवं पूर्व गठित तकनीकी जांच समिति अथवा गुणवत्ता जाँच थर्ड पार्टी की संस्तुति के पश्चात ही अन्तिम भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- 14) निविदादाता द्वारा संलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर निविदाकार को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 15) ई-निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा। पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नहीं होगा।
- 16) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- 17) (i) जी0एस0टी0 एवं अन्य करों की देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।
 ii) निविदादाता सम्पूर्ण आवश्यक प्रचलित दरों के दृष्टिगत निविदा की दरों को कोट करना सुनिश्चित करेंगे।
 iii) निविदा स्वीकृति के समय ठेकेदार को अतिरिक्त धरोहर-धनराशि अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ के शासदनादेश सं0 8/2017/836/ 23-7-17-176(सा.)/06 दिनांक 8-6-2017 पैरा-19 के अनुसार देय होगी।
- 18) हॉटमिक्स प्लांट से कराये जाने वाले बिटुमिन कार्य/सीमेन्ट कंक्रीट के कार्यों हेतु आर0एम0सी0 प्लांट, अन्य मशीनरी का स्वामित्व अथवा लीज एग्रीमेन्ट होना अनिवार्य है।
- 19) अन्य नियम व शर्तें गीडा/लोक निर्माण विभाग के अनुरूप होंगी जिन्हें किसी भी कार्य दिवस में गीडा अभियन्त्रण अनुभाग में देखी व जानी जा सकती हैं।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक: 2071/अभि0नि0-6/सिविल/निविदा/गीडा/2024-25, दिनांक: 06/अगस्त, 2024

प्रतिलिपि :-

- 1- उप जिलाधिकारी/विशेष कार्याधिकारी को सूचनार्थ।
- 2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- प्रबन्धक (सिविल) गीडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 5- गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 6- सम्बन्धित पत्रावली/गार्ड फाईल।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

43

कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर

दूरभाष-(0551) 2580010, 2580090 फ़ैक्स. (0551) 2580020

ई-निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा गीडा/केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों एवं अर्द्धसरकारी उपक्रमों में सिविल निर्माण कार्य हेतु कॉलम न० 7 के अनुसार अर्ह श्रेणी में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार से ऑन लाईन ई-निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-विड्स सिस्टम द्वारा ई-निविदा दिनांक 12.08.24 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनांक 02.09.24 को अपराह्न 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है एवं दिनांक 30.08.24 सायं 4:00 बजे प्री-बिड बैठक होगी। दिनांक 02.09.24 को अपराह्न 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (रु० लाख में) (जी.एस.टी. अतिरिक्त)	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी.एस.टी. सहित)	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गीडा परिक्षेत्र के सेक्टर 13 में अमर उजाला के सामने स्थित सड़क के चौड़ीकरण एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	242.49	14.13	(निविदा मूल्य + जी. एस.टी.) रु० 2950.00	09 माह	'ए'	आन-लाईन

नोट- कृपया निविदा प्रपत्र इत्यादि के सम्बंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 30.08.24 तक कोई भी शुद्धि पत्र नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> से प्राप्त की जा सकती है।

नियम एवं शर्तें:-

- 1) निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य तथा धरोहर धनराशि "गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या-740901000088, IFSC कोड- ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा-तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No./Transaction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- 2) निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी।
- 3) ITB क्लॉज 4.4 बी के अनुसार निविदा के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बंध में रु० 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण-पत्र मूल रूप में "मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा गोरखपुर" को सम्बोधित करते हुए निविदा की अन्तिम तिथि के पूर्व एवं निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराइज्ड मूल रूप से ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

५५

- i) ऐसे निविदादाता जिसका सगा-सम्बन्धी (defined as first blood relations, and their spouses) जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी/अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/सहायक प्रबन्धक/प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर आसीन होंगे, को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्तेदारों का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जोकि गीडा/खण्ड अथवा वृत्त में कार्यरत है।
- ii) ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेगें, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- iii) कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है, उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4) प्रत्येक बिडर्स को रू0 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर के शपथ-पत्र पर सभी सूचनाएँ निर्धारित प्रपत्रों पर ऑन-लाईन अपलोड करना अनिवार्य है, जिससे कि निविदादाता की बिड्स कैपेसिटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता)/परीक्षण/आँकलित हो सकें:-
 - i) प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को सभी सूचनाएँ/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे-टी-4(चरित्र प्रमाण पत्र), टी-5 (हैसियत प्रमाण पत्र) की सत्यापित छायाप्रति एवं टी-6 (शपथ पत्र) मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर नोटराइज्ड होना) प्रत्येक निविदा के साथ, शा0सं0 2572/23-7-2014-176 (सामान्य)/06टी0सी0 दिनांक 23 सितम्बर 2014 के क्रम में अपलोड करना अनिवार्य है।
 - ii) लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 836/23-7-17-176(सा0)/06 दिनांक 08 जून 2017 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार टेन्डर/कार्य में पारदर्शिता एवं सूचिता लाने तथा माफिया गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने एवं माफिया गतिविधियों, गैंगेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलग्न हो, उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हों उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित होगा एवं उसे ठेका भी नहीं दिया जायेगा। साथ ही जो ठेकेदार पूर्व में लो0नि0वि0 अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड श्रेणी में आते हैं वो भी ठेके में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हें कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा इस सम्बन्ध में निविदा के साथ शपथ पत्र (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना होगा।
- 5) (clause 4.4A(a)) - निविदादाता द्वारा विगत 05 वित्तीय वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में निविदा धनराशि के समान धनराशि (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का टर्नओवर प्राप्त किया होना चाहिए। टर्न ओवर हेतु सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट एवं विगत 05 वित्तीय वर्षों का आई0टी0आर0 तथा नवीनतम वैध चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 का पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 6) विगत 05 वित्तीय वर्षों में किये गये कार्य के अनुभव के सम्बन्ध में :- (clause 4.4A (b)) - निविदादाता द्वारा मुख्य ठेकेदार के रूप में विगत 05 वित्तीय वर्षों में समान प्रकृति का निविदा धनराशि की कम से कम एक तिहाई लागत (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का 01 कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण किया गया हो। सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 7) निविदादाता द्वारा स्वीकृत आगणन दरों से कम दर अंकित करने पर नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा तथा जमा की गयी परफार्मेंस सिक्योरिटी संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
- 8) निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंकों में निर्धारित स्थान पर अंकित होने चाहिए। एक/समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।
- 9) निविदा स्वीकृति के पश्चात निविदा कार्य की कार्यादेश आदेश प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है अन्यथा विलम्ब के लिए रू0 1000 प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति पत्र की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

- 10) निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात 24 माह के अन्दर कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को दूर करना ठेकेदार/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 11) ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुये संतोषजनक उत्तर देने पर समय वृद्धि अथवा सन्तोषजनक कारण न होने पर अनुबंध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक आर्थिक दण्ड लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।
- 12) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी। यदि निविदा की दरें अव्यवहारिक पायी जाती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कार्यहित में निविदा को निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी में निहित होगा।
- 13) ठेकेदार द्वारा मानकों के अनुसार कराये गये कार्यों का समय-समय पर भुगतान किया जायेगा एवं पूर्व गठित तकनीकी जांच समिति अथवा गुणवत्ता जाँच थर्ड पार्टी की संस्तुति के पश्चात ही अन्तिम भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- 14) निविदादाता द्वारा संलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर निविदाकार को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 15) ई-निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा। पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नहीं होगा।
- 16) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- 17) (i) जी0एस0टी0 एवं अन्य करों की देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।
 ii) निविदादाता सम्पूर्ण आवश्यक प्रचलित दरों के दृष्टिगत निविदा की दरों को कोट करना सुनिश्चित करेंगे।
 iii) निविदा स्वीकृति के समय ठेकेदार को अतिरिक्त धरोहर-धनराशि अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ के शासदनादेश सं0 8/2017/836/ 23-7-17-176(सा.)/06 दिनांक 8-6-2017 पैरा-19 के अनुसार देय होगी।
- 18) हॉटमिक्स प्लान्ट से कराये जाने वाले बिटुमिन कार्य/सीमेन्ट कंक्रीट के कार्यों हेतु आर0एम0सी0 प्लान्ट, अन्य मशीनरी का स्वामित्व अथवा लीज एग्रीमेन्ट होना अनिवार्य है।
- 19) अन्य नियम व शर्तें गीडा/लोक निर्माण विभाग के अनुरूप होंगी जिन्हें किसी भी कार्य दिवस में गीडा अभियन्त्रण अनुभाग में देखी व जानी जा सकती हैं।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक: 2075 /अभि0नि0-6/सिविल/निविदा/गीडा/2024-25, दिनांक: 06-/अगस्त, 2024

प्रतिलिपि :-

- 1- उप जिलाधिकारी/विशेष कार्याधिकारी को सूचनार्थ।
- 2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- प्रबन्धक (सिविल) गीडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 5- गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 6- सम्बन्धित पत्रावली/गार्ड फाईल।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

46

कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर

दूरभाष-(0551) 2580010, 2580090 फैक्स. (0551) 2580020

ई-निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा गीडा/केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों एवं अर्द्धसरकारी उपक्रमों में सिविल निर्माण कार्य हेतु कॉलम न0 7 के अनुसार अर्ह श्रेणी में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार से ऑन लाईन ई-निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-विड्स सिस्टम द्वारा ई-निविदा दिनांक 12.08.24 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनांक 02.09.24 को अपराह्न 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है एवं दिनांक 30.08.24 सायं 4:00 बजे प्री-बिड बैठक होगी। दिनांक 02.09.24 को अपराह्न 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (रु0 लाख में) (जी.एस.टी. अतिरिक्त)	धरोहर धनराशि (रु0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी.एस.टी. सहित)	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गीडा सेक्टर-13 में प्लैटेड फैक्ट्री के सामने स्थित 24 मी0 रोड के सेंट्रल वर्ज के साथ चौड़ीकरण एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	202.08	12.11	(निविदा मूल्य + जी.एस.टी.) रु0 2950.00	09 माह	'ए'	आन- लाईन

नोट- कृपया निविदा प्रपत्र इत्यादि के सम्बंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 30.08.24 तक कोई भी शुद्धि पत्र नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> से प्राप्त की जा सकती है।

नियम एवं शर्त:-

- 1) निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य तथा धरोहर धनराशि "गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या-740901000088, IFSC कोड- ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा-तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No./Transaction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- 2) निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी।
- 3) ITB क्लाज 4.4 बी के अनुसार निविदा के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में रु0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण-पत्र मूल रूप में "मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा गोरखपुर" को सम्बोधित करते हुए निविदा की अन्तिम तिथि के पूर्व एवं निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराइज्ड मूल रूप से आनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

47

- i) ऐसे निविदादाता जिसका सगा-सम्बन्धी (defined as first blood relations, and their spouses) जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी/अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/सहायक प्रबन्धक/प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर आसीन होंगे, को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्तेदारों का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जोकि गीडा/खण्ड अथवा वृत्त में कार्यरत है।
- ii) ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेगें, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- iii) कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है, उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4) प्रत्येक बिडर्स को रु0 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर के शपथ-पत्र पर सभी सूचनाएँ निर्धारित प्रपत्रों पर ऑन-लाईन अपलोड करना अनिवार्य है, जिससे कि निविदादाता की बिड्स कैपेसिटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता)/परीक्षण/आँकलित हो सकें:-
- i) प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को सभी सूचनाएँ/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे-टी-4(चरित्र प्रमाण पत्र), टी-5 (हैसियत प्रमाण पत्र) की सत्यापित छायाप्रति एवं टी-6 (शपथ पत्र) मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर नोटराइज्ड होना) प्रत्येक निविदा के साथ, शा0सं0 2572/23-7-2014-176 (सामान्य)/06टी0सी0 दिनांक 23 सितम्बर 2014 के क्रम में अपलोड करना अनिवार्य है।
- ii) लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 836/23-7-17-176(सा0)/06 दिनांक 08 जून 2017 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार टेन्डर/कार्य में पारदर्शिता एवं सूचिता लाने तथा माफिया गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने एवं माफिया गतिविधियों, गैंगेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलग्न हो, उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हों उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित होगा एवं उसे ठेका भी नहीं दिया जायेगा। साथ ही जो ठेकेदार पूर्व में लो0नि0वि0 अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड श्रेणी में आते हैं वो भी ठेके में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हें कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा इस सम्बन्ध में निविदा के साथ शपथ पत्र (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना होगा।
- 5) (clause 4.4A(a)) - निविदादाता द्वारा विगत 05 वित्तीय वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में निविदा धनराशि के समान धनराशि (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का टर्नओवर प्राप्त किया होना चाहिए। टर्न ओवर हेतु सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट एवं विगत 05 वित्तीय वर्षों का आई0टी0आर0 तथा नवीनतम वैध चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 का पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 6) विगत 05 वित्तीय वर्षों में किये गये कार्य के अनुभव के सम्बन्ध में :- (clause 4.4A (b)) - निविदादाता द्वारा मुख्य ठेकेदार के रूप में विगत 05 वित्तीय वर्षों में समान प्रकृति का निविदा धनराशि की कम से कम एक तिहाई लागत (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का 01 कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण किया गया हो। सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 7) निविदादाता द्वारा स्वीकृत आगणन दरों से कम दर अंकित करने पर नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा तथा जमा की गयी परफार्मेंस सिक्योरिटी संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
- 8) निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंकों में निर्धारित स्थान पर अंकित होने चाहिए। एक/समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।
- 9) निविदा स्वीकृति के पश्चात निविदा कार्य की कार्यादेश आदेश प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है अन्यथा विलम्ब के लिए रु0 1000 प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति पत्र की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

- 10) निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात 24 माह के अन्दर कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को दूर करना ठेकेदार/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 11) ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुये संतोषजनक उत्तर देने पर समय वृद्धि अथवा सन्तोषजनक कारण न होने पर अनुबंध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक आर्थिक दण्ड लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।
- 12) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी। यदि निविदा की दरें अव्यवहारिक पायी जाती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कार्यहित में निविदा को निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी में निहित होगा।
- 13) ठेकेदार द्वारा मानकों के अनुसार कराये गये कार्यों का समय-समय पर भुगतान किया जायेगा एवं पूर्व गठित तकनीकी जांच समिति अथवा गुणवत्ता जाँच थर्ड पार्टी की संस्तुति के पश्चात ही अन्तिम भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- 14) निविदादाता द्वारा संलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर निविदाकार को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 15) ई-निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा। पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नहीं होगा।
- 16) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- 17) (i) जी0एस0टी0 एवं अन्य करों की देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।
 ii) निविदादाता सम्पूर्ण आवश्यक प्रचलित दरों के दृष्टिगत निविदा की दरों को कोट करना सुनिश्चित करेंगे।
 iii) निविदा स्वीकृति के समय ठेकेदार को अतिरिक्त धरोहर-धनराशि अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ के शासदनादेश सं0 8/2017/836/ 23-7-17-176(सा.)/06 दिनांक 8-6-2017 पैरा-19 के अनुसार देय होगी।
- 18) हॉटमिक्स प्लान्ट से कराये जाने वाले बिटुमिन कार्य/सीमेन्ट कंक्रीट के कार्यों हेतु आर0एम0सी0 प्लान्ट, अन्य मशीनरी का स्वामित्व अथवा लीज एग्रीमेन्ट होना अनिवार्य है।
- 19) अन्य नियम व शर्तें गीडा/लोक निर्माण विभाग के अनुरूप होंगी जिन्हें किसी भी कार्य दिवस में गीडा अभियन्त्रण अनुभाग में देखी व जानी जा सकती हैं।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक: 2096 /अभि0नि0-6/सिविल/निविदा/गीडा/2024-25, दिनांक: 07- /अगस्त ,2024
 प्रतिलिपि :-

- 1- उप जिलाधिकारी/विशेष कार्याधिकारी को सूचनार्थ।
- 2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- प्रबन्धक (सिविल) गीडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाईट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 5- गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 6- सम्बन्धित पत्रावली/गार्ड फाईल।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

49

कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर

दूरभाष-(0551) 2580010, 2580090 फ़ैक्स. (0551) 2580020

ई-निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा गीडा/केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों एवं अर्द्धसरकारी उपक्रमों में सिविल निर्माण कार्य हेतु कॉलम नं० 7 के अनुसार अर्ह श्रेणी में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार से ऑन लाईन ई-निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-विड्स सिस्टम द्वारा ई-निविदा दिनांक 12.08.24 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनांक 02.09.24 को अपराह्न 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है एवं दिनांक 30.08.24 सायं 4:00 बजे प्री-बिड बैठक होगी। दिनांक 02.09.24 को अपराह्न 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (रु० लाख में) (जी.एस.टी. अतिरिक्त)	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी.एस.टी. सहित)	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गीडा सेक्टर-27 व 28 भगवानपुर में प्लास्टिक पार्क के आर.सी.सी. ड्रेन व बाक्स कल्वर्ट और 18 मीटर चौड़ी सी.सी. रोड का निर्माण कार्य।	325.20	18.26	(निविदा मूल्य + जी. एस.टी.) रु० 2950.00	09 माह	'ए'	आन-लाईन

नोट— कृपया निविदा प्रपत्र इत्यादि के सम्बंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 30.08.24 तक कोई भी शुद्धि पत्र नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> से प्राप्त की जा सकती है।

नियम एवं शर्तें:-

- 1) निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य तथा धरोहर धनराशि "गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या-740901000088, IFSC कोड- ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा-तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No./Transaction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- 2) निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी।
- 3) ITB क्लॉज 4.4 बी के अनुसार निविदा के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में रु० 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण-पत्र मूल रूप में "मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा गोरखपुर" को सम्बोधित करते हुए निविदा की अन्तिम तिथि के पूर्व एवं निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराइज्ड मूल रूप से आनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

50

- i) ऐसे निविदादाता जिसका सगा-सम्बन्धी (defined as first blood relations, and their spouses) जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी/अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/सहायक प्रबन्धक/प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर आसीन होंगे, को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्तेदारों का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जोकि गीडा/खण्ड अथवा वृत्त में कार्यरत है।
- ii) ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेगें, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- iii) कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है, उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4) प्रत्येक बिडर्स को रू0 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर के शपथ-पत्र पर सभी सूचनाएँ निर्धारित प्रपत्रों पर ऑन-लाईन अपलोड करना अनिवार्य है, जिससे कि निविदादाता की बिड्स कैपेसिटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता)/परीक्षण/आँकलित हो सकें:-
- i) प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को सभी सूचनाएँ/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे-टी-4(चरित्र प्रमाण पत्र),टी-5 (हैसियत प्रमाण पत्र) की सत्यापित छायाप्रति एवं टी-6 (शपथ पत्र) मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर नोटराइज्ड होना) प्रत्येक निविदा के साथ, शा0सं0 2572/23-7-2014-176 (सामान्य)/06टी0सी0 दिनांक 23 सितम्बर 2014 के क्रम में अपलोड करना अनिवार्य है।
- ii) लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 836/23-7-17-176(सा0)/06 दिनांक 08 जून 2017 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार टेन्डर/कार्य में पारदर्शिता एवं सूचिता लाने तथा माफिया गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने एवं माफिया गतिविधियों, गैंगेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलग्न हो, उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हों उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित होगा एवं उसे ठेका भी नहीं दिया जायेगा। साथ ही जो ठेकेदार पूर्व में लो0नि0वि0 अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड श्रेणी में आते हैं वो भी ठेके में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हें कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा इस सम्बन्ध में निविदा के साथ शपथ पत्र (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना होगा।
- 5) (clause 4.4A(a)) - निविदादाता द्वारा विगत 05 वित्तीय वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में निविदा धनराशि के समान धनराशि (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का टर्नओवर प्राप्त किया होना चाहिए। टर्न ओवर हेतु सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट एवं विगत 05 वित्तीय वर्षों का आई0टी0आर0 तथा नवीनतम वैध चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 का पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 6) विगत 05 वित्तीय वर्षों में किये गये कार्य के अनुभव के सम्बन्ध में :- (clause 4.4A (b)) - निविदादाता द्वारा मुख्य ठेकेदार के रूप में विगत 05 वित्तीय वर्षों में समान प्रकृति का निविदा धनराशि की कम से कम एक तिहाई लागत (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का 01 कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण किया गया हो। सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 7) निविदादाता द्वारा स्वीकृत आगणन दरों से कम दर अंकित करने पर नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा तथा जमा की गयी परफार्मेंस सिक्योरिटी संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
- 8) निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंकों में निर्धारित स्थान पर अंकित होने चाहिए। एक/समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।
- 9) निविदा स्वीकृति के पश्चात निविदा कार्य की कार्यादेश आदेश प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है अन्यथा विलम्ब के लिए रू0 1000 प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति पत्र की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

- 10) निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात 24 माह के अन्दर कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को दूर करना ठेकेदार/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 11) ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुये संतोषजनक उत्तर देने पर समय वृद्धि अथवा सन्तोषजनक कारण न होने पर अनुबंध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक आर्थिक दण्ड लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।
- 12) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी। यदि निविदा की दरें अव्यवहारिक पायी जाती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कार्यहित में निविदा को निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी में निहित होगा।
- 13) ठेकेदार द्वारा मानकों के अनुसार कराये गये कार्यों का समय-समय पर भुगतान किया जायेगा एवं पूर्व गठित तकनीकी जांच समिति अथवा गुणवत्ता जाँच थर्ड पार्टी की संस्तुति के पश्चात ही अन्तिम भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- 14) निविदादाता द्वारा संलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर निविदाकार को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 15) ई-निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा। पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नहीं होगा।
- 16) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- 17) (i) जी0एस0टी0 एवं अन्य करों की देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।
 ii) निविदादाता सम्पूर्ण आवश्यक प्रचलित दरों के दृष्टिगत निविदा की दरों को कोट करना सुनिश्चित करेंगे।
 iii) निविदा स्वीकृति के समय ठेकेदार को अतिरिक्त धरोहर-धनराशि अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ के शासदनादेश सं0 8/2017/836/ 23-7-17-176(सा.)/06 दिनांक 8-6-2017 पैरा-19 के अनुसार देय होगी।
- 18) हॉटमिक्स प्लान्ट से कराये जाने वाले बिटुमिन कार्य/सीमेन्ट कंक्रीट के कार्यों हेतु आर0एम0सी0 प्लान्ट, अन्य मशीनरी का स्वामित्व अथवा लीज एग्रीमेन्ट होना अनिवार्य है।
- 19) अन्य नियम व शर्तें गीडा/लोक निर्माण विभाग के अनुरूप होंगी जिन्हें किसी भी कार्य दिवस में गीडा अभियन्त्रण अनुभाग में देखी व जानी जा सकती हैं।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक: 2074 /अभि0नि0-6/सिविल/निविदा/गीडा/2024-25, दिनांक: 06 /अगस्त, 2024
 प्रतिलिपि :-

- 1- उप जिलाधिकारी/विशेष कार्याधिकारी को सूचनार्थ।
- 2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- प्रबन्धक (सिविल) गीडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 5- गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 6- सम्बन्धित पत्रावली/गार्ड फाईल।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

52

कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर

दूरभाष-(0551) 2580010, 2580090 फैक्स. (0551) 2580020

ई-निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा गीडा/केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों एवं अर्द्धसरकारी उपक्रमों में सिविल निर्माण कार्य हेतु कॉलम न0 7 के अनुसार अर्ह श्रेणी में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार से ऑन लाईन ई-निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-विड्स सिस्टम द्वारा ई-निविदा दिनांक 12.08.24 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनांक 02.09.24 को अपराह्न 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है एवं दिनांक 30.08.24 सायं 4:00 बजे प्री-बिड बैठक होगी। दिनांक 02.09.24 को अपराह्न 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (रु0 लाख में) (जी.एस.टी. अतिरिक्त)	धरोहर धनराशि (रु0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी.एस.टी. सहित)	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Construction of Retaining Wall, Interlocking and Approach at 18 M R-2 & 12 M Road 500 M LHS in Narkatha Sector-27, GIDA , Gorakhpur.	309.34	17.47	(निविदा मूल्य + जी. एस.टी) रु0 2950.00	09 माह	'ए'	आन- लाईन

नोट— कृपया निविदा प्रपत्र इत्यादि के सम्बंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 30.08.24 तक कोई भी शुद्धि पत्र नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> से प्राप्त की जा सकती है।

नियम एवं शर्तें:-

- 1) निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य तथा धरोहर धनराशि "गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या-740901000088, IFSC कोड- ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा-तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No./Transaction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- 2) निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी।
- 3) ITB क्लाज 4.4 बी के अनुसार निविदा के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में रु0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण-पत्र मूल रूप में "मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा गोरखपुर" को सम्बोधित करते हुए निविदा की अन्तिम तिथि के पूर्व एवं निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराइज्ड मूल रूप से आनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

57

- i) ऐसे निविदादाता जिसका सगा-सम्बन्धी (defined as first blood relations, and their spouses) जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी/अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/सहायक प्रबन्धक/प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर आसीन होंगे, को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्तेदारों का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जोकि गीडा/खण्ड अथवा वृत्त में कार्यरत है।
- ii) ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेंगे, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- iii) कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है, उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4) प्रत्येक बिडर्स को रू0 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर के शपथ-पत्र पर सभी सूचनाएँ निर्धारित प्रपत्रों पर ऑन-लाईन अपलोड करना अनिवार्य है, जिससे कि निविदादाता की बिड्स कैपेसिटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता)/परीक्षण/आँकलित हो सकें:-
 - i) प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को सभी सूचनाएँ/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे-टी-4(चरित्र प्रमाण पत्र), टी-5 (हैसियत प्रमाण पत्र) की सत्यापित छायाप्रति एवं टी-6 (शपथ पत्र) मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर नोटराइज्ड होना) प्रत्येक निविदा के साथ, शा0सं0 2572/23-7-2014-176 (सामान्य)/06टी0सी0 दिनांक 23 सितम्बर 2014 के क्रम में अपलोड करना अनिवार्य है।
 - ii) लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 836/23-7-17-176(सा0)/06 दिनांक 08 जून 2017 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार टेन्डर/कार्य में पारदर्शिता एवं सूचिता लाने तथा माफिया गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने एवं माफिया गतिविधियों, गैंगेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलग्न हो, उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हों उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित होगा एवं उसे ठेका भी नहीं दिया जायेगा। साथ ही जो ठेकेदार पूर्व में लो0नि0वि0 अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड श्रेणी में आते हैं वो भी ठेके में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हें कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा इस सम्बन्ध में निविदा के साथ शपथ पत्र (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना होगा।
- 5) (clause 4.4A(a)) - निविदादाता द्वारा विगत 05 वित्तीय वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में निविदा धनराशि के समान धनराशि (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का टर्नओवर प्राप्त किया होना चाहिए। टर्न ओवर हेतु सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट एवं विगत 05 वित्तीय वर्षों का आई0टी0आर0 तथा नवीनतम वैध चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 का पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 6) विगत 05 वित्तीय वर्षों में किये गये कार्य के अनुभव के सम्बन्ध में :- (clause 4.4A (b)) - निविदादाता द्वारा मुख्य ठेकेदार के रूप में विगत 05 वित्तीय वर्षों में समान प्रकृति का निविदा धनराशि की कम से कम एक तिहाई लागत (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का 01 कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण किया गया हो। सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 7) निविदादाता द्वारा स्वीकृत आगणन दरों से कम दर अंकित करने पर नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा तथा जमा की गयी परफार्मेंस सिक्योरिटी संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
- 8) निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंकों में निर्धारित स्थान पर अंकित होने चाहिए। एक/समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।
- 9) निविदा स्वीकृति के पश्चात निविदा कार्य की कार्यादेश आदेश प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है अन्यथा विलम्ब के लिए रू0 1000 प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति पत्र की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

54

- 10) निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात 24 माह के अन्दर कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को दूर करना ठेकेदार/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 11) ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुये संतोषजनक उत्तर देने पर समय वृद्धि अथवा सन्तोषजनक कारण न होने पर अनुबंध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक आर्थिक दण्ड लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।
- 12) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी। यदि निविदा की दरें अव्यवहारिक पायी जाती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कार्यहित में निविदा को निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी में निहित होगा।
- 13) ठेकेदार द्वारा मानकों के अनुसार कराये गये कार्यों का समय-समय पर भुगतान किया जायेगा एवं पूर्व गठित तकनीकी जांच समिति अथवा गुणवत्ता जाँच थर्ड पार्टी की संस्तुति के पश्चात ही अन्तिम भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- 14) निविदादाता द्वारा संलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर निविदाकार को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 15) ई-निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा। पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नहीं होगा।
- 16) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- 17) (i) जी0एस0टी0 एवं अन्य करों की देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।
ii) निविदादाता सम्पूर्ण आवश्यक प्रचलित दरों के दृष्टिगत निविदा की दरों को कोट करना सुनिश्चित करेंगे।
iii) निविदा स्वीकृति के समय ठेकेदार को अतिरिक्त धरोहर-धनराशि अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ के शासदनादेश सं0 8/2017/836/ 23-7-17-176(सा.)/06 दिनांक 8-6-2017 पैरा-19 के अनुसार देय होगी।
- 18) हॉटमिक्स प्लान्ट से कराये जाने वाले बिटुमिन कार्य/सीमेन्ट कंक्रीट के कार्यों हेतु आर0एम0सी0 प्लान्ट, अन्य मशीनरी का स्वामित्व अथवा लीज एग्रीमेन्ट होना अनिवार्य है।
- 19) अन्य नियम व शर्तें गीडा/लोक निर्माण विभाग के अनुरूप होंगी जिन्हें किसी भी कार्य दिवस में गीडा अभियन्त्रण अनुभाग में देखी व जानी जा सकती हैं।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक: 2068/अभि0नि0-6/सिविल/निविदा/गीडा/2024-25, दिनांक: 06-/अगस्त, 2024

प्रतिलिपि :-

- 1- उप जिलाधिकारी/विशेष कार्याधिकारी को सूचनार्थ।
- 2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- प्रबन्धक (सिविल) गीडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 5- गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 6- सम्बन्धित पत्रावली/गार्ड फाईल।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

55

कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर

दूरभाष-(0551) 2580010, 2580090 फ़ैक्स. (0551) 2580020

ई-निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा गीडा/केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों एवं अर्द्धसरकारी उपक्रमों में सिविल निर्माण कार्य हेतु कॉलम न0 7 के अनुसार अर्ह श्रेणी में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार से ऑन लाईन ई-निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-विड्स सिस्टम द्वारा ई-निविदा दिनांक 12.08.24 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनांक 02.09.24 को अपराह्न 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है एवं दिनांक 30.08.24 सायं 4:00 बजे प्री-बिड बैठक होगी। दिनांक 02.09.24 को अपराह्न 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (रु0 लाख में) (जी.एस.टी. अतिरिक्त)	धरोहर धनराशि (रु0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी.एस.टी. सहित)	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Construction of Retaining Wall & Interlocking CH 1.330 to 2.430 LHS at 12 M Wide in Narkatha Sector-27,GIDA, Gorakhpur.	300.94	17.05	(निविदा मूल्य + जी. एस.टी.) रु0 2950.00	09 माह	'ए'	आन- लाईन

नोट- कृपया निविदा प्रपत्र इत्यादि के सम्बंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 30.08.24 तक कोई भी शुद्धि पत्र नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> से प्राप्त की जा सकती है।

नियम एवं शर्त:-

- 1) निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य तथा धरोहर धनराशि "गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या-740901000088, IFSC कोड- ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा-तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No./Transaction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- 2) निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी।
- 3) ITB क्लाज 4.4 बी के अनुसार निविदा के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में रु0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण-पत्र मूल रूप में "मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा गोरखपुर" को सम्बोधित करते हुए निविदा की अन्तिम तिथि के पूर्व एवं निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराइज्ड मूल रूप से आनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

56

- i) ऐसे निविदादाता जिसका सगा-सम्बन्धी (defined as first blood relations, and their spouses) जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी/अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/सहायक प्रबन्धक/प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर आसीन हों, को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्तेदारों का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जोकि गीडा/खण्ड अथवा वृत्त में कार्यरत है।
- ii) ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायें, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- iii) कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है, उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4) प्रत्येक बिडर्स को रू0 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर के शपथ-पत्र पर सभी सूचनाएँ निर्धारित प्रपत्रों पर ऑन-लाईन अपलोड करना अनिवार्य है, जिससे कि निविदादाता की बिड्स कैपेसिटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता)/परीक्षण/ऑकलित हो सकें:-
 - i) प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को सभी सूचनाएँ/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे-टी-4(चरित्र प्रमाण पत्र), टी-5 (हैसियत प्रमाण पत्र) की सत्यापित छायाप्रति एवं टी-6 (शपथ पत्र) मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर नोटराइज्ड होना) प्रत्येक निविदा के साथ, शा0सं0 2572/23-7-2014-176 (सामान्य)/06टी0सी0 दिनांक 23 सितम्बर 2014 के क्रम में अपलोड करना अनिवार्य है।
 - ii) लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 836/23-7-17-176(सा0)/06 दिनांक 08 जून 2017 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार टेन्डर/कार्य में पारदर्शिता एवं सूचिता लाने तथा माफिया गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने एवं माफिया गतिविधियों, गैंगेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलग्न हो, उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हों उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित होगा एवं उसे ठेका भी नहीं दिया जायेगा। साथ ही जो ठेकेदार पूर्व में लो0नि0वि0 अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड श्रेणी में आते हैं वो भी ठेके में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हें कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा इस सम्बन्ध में निविदा के साथ शपथ पत्र (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना होगा।
- 5) (clause 4.4A(a)) - निविदादाता द्वारा विगत 05 वित्तीय वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में निविदा धनराशि के समान धनराशि (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का टर्नओवर प्राप्त किया होना चाहिए। टर्न ओवर हेतु सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट एवं विगत 05 वित्तीय वर्षों का आई0टी0आर0 तथा नवीनतम वैध चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 का पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 6) विगत 05 वित्तीय वर्षों में किये गये कार्य के अनुभव के सम्बन्ध में :- (clause 4.4A (b)) - निविदादाता द्वारा मुख्य ठेकेदार के रूप में विगत 05 वित्तीय वर्षों में समान प्रकृति का निविदा धनराशि की कम से कम एक तिहाई लागत (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का 01 कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण किया गया हो। सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 7) निविदादाता द्वारा स्वीकृत आगणन दरों से कम दर अंकित करने पर नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा तथा जमा की गयी परफार्मेंस सिक्योरिटी संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
- 8) निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंकों में निर्धारित स्थान पर अंकित होने चाहिए। एक/समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।
- 9) निविदा स्वीकृति के पश्चात निविदा कार्य की कार्यादेश आदेश प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है अन्यथा विलम्ब के लिए रू0 1000 प्रतिदिन अर्धदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति पत्र की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

57

- 10) निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात 24 माह के अन्दर कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को दूर करना ठेकेदार/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 11) ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुये संतोषजनक उत्तर देने पर समय वृद्धि अथवा संतोषजनक कारण न होने पर अनुबंध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक आर्थिक दण्ड लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।
- 12) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी। यदि निविदा की दरें अव्यवहारिक पायी जाती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कार्यहित में निविदा को निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी में निहित होगा।
- 13) ठेकेदार द्वारा मानकों के अनुसार कराये गये कार्यों का समय-समय पर भुगतान किया जायेगा एवं पूर्व गठित तकनीकी जांच समिति अथवा गुणवत्ता जाँच थर्ड पार्टी की संस्तुति के पश्चात ही अन्तिम भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- 14) निविदादाता द्वारा संलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर निविदाकार को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 15) ई-निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा। पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नहीं होगा।
- 16) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- 17) (i) जी0एस0टी0 एवं अन्य करों की देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।
 ii) निविदादाता सम्पूर्ण आवश्यक प्रचलित दरों के दृष्टिगत निविदा की दरों को कोट करना सुनिश्चित करेंगे।
 iii) निविदा स्वीकृति के समय ठेकेदार को अतिरिक्त धरोहर-धनराशि अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ के शासदनादेश सं0 8/2017/836/ 23-7-17-176(सा.)/06 दिनांक 8-6-2017 पैरा-19 के अनुसार देय होगी।
- 18) हॉटमिक्स प्लान्ट से कराये जाने वाले बिटुमिन कार्य/सीमेन्ट कंक्रीट के कार्यों हेतु आर0एम0सी0 प्लान्ट, अन्य मशीनरी का स्वामित्व अथवा लीज एग्रीमेन्ट होना अनिवार्य है।
- 19) अन्य नियम व शर्तें गीडा/लोक निर्माण विभाग के अनुरूप होंगी जिन्हें किसी भी कार्य दिवस में गीडा अभियन्त्रण अनुभाग में देखी व जानी जा सकती हैं।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक: 2070 /अभि0नि0-6/सिविल/निविदा/गीडा/2024-25, दिनांक: 06- /अगस्त, 2024

प्रतिलिपि :-

- 1- उप जिलाधिकारी/विशेष कार्याधिकारी को सूचनार्थ।
- 2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- प्रबन्धक (सिविल) गीडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 5- गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 6- सम्बन्धित पत्रावली/गार्ड फाईल।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

58

कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर

दूरभाष-(0551) 2580010, 2580090 फ़ैक्स. (0551) 2580020

ई-निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा गीडा/केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों एवं अर्द्धसरकारी उपक्रमों में सिविल निर्माण कार्य हेतु कॉलम नं० 7 के अनुसार अर्ह श्रेणी में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार से ऑन लाईन ई-निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-विड्स सिस्टम द्वारा ई-निविदा दिनांक 12.08.24 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनांक 02.09.24 को अपराह्न 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है एवं दिनांक 30.08.24 सायं 4:00 बजे प्री-बिड बैठक होगी। दिनांक 02.09.24 को अपराह्न 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (रु० लाख में) (जी.एस.टी. अतिरिक्त)	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी.एस.टी. सहित)	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Construction of Retaining Wall & Interlocking on 12 M Wide CH 1.910 to 2.540 Road in Narkatha Sector-27,GIDA, Gorakhpur.	175.73	10.79	(निविदा मूल्य + जी. एस.टी.) रु० 2950.00	09 माह	‘ए’	आन-लाईन

नोट- कृपया निविदा प्रपत्र इत्यादि के सम्बंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 30.08.24 तक कोई भी शुद्धि पत्र नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> से प्राप्त की जा सकती है।

नियम एवं शर्तें:-

- 1) निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य तथा धरोहर धनराशि “गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण” के खाता संख्या-740901000088, IFSC कोड- ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा-तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No./Transaction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- 2) निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी।
- 3) ITB क्लाज 4.4 बी के अनुसार निविदा के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में रु० 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण-पत्र मूल रूप में “मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा गोरखपुर” को सम्बोधित करते हुए निविदा की अन्तिम तिथि के पूर्व एवं निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराइज्ड मूल रूप से आनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

59

- i) ऐसे निविदादाता जिसका सगा-सम्बन्धी (defined as first blood relations, and their spouses) जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी/अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/सहायक प्रबन्धक/प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर आसीन हों, को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्तेदारों का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जोकि गीडा/खण्ड अथवा वृत्त में कार्यरत है।
- ii) ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायें, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- iii) कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है, उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4) प्रत्येक बिडर्स को रू0 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर के शपथ-पत्र पर सभी सूचनाएँ निर्धारित प्रपत्रों पर ऑन-लाईन अपलोड करना अनिवार्य है, जिससे कि निविदादाता की बिड्स कैपेसिटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता)/परीक्षण/ऑकलित हो सकें:-
 - i) प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को सभी सूचनाएँ/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे-टी-4(चरित्र प्रमाण पत्र), टी-5 (हैसियत प्रमाण पत्र) की सत्यापित छायाप्रति एवं टी-6 (शपथ पत्र) मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर नोटराइज्ड होना) प्रत्येक निविदा के साथ, शा0सं0 2572/23-7-2014-176 (सामान्य)/06टी0सी0 दिनांक 23 सितम्बर 2014 के क्रम में अपलोड करना अनिवार्य है।
 - ii) लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 836/23-7-17-176(सा0)/06 दिनांक 08 जून 2017 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार टेन्डर/कार्य में पारदर्शिता एवं सूचिता लाने तथा माफिया गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने एवं माफिया गतिविधियों, गैंगेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलग्न हो, उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हों उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित होगा एवं उसे ठेका भी नहीं दिया जायेगा। साथ ही जो ठेकेदार पूर्व में लो0नि0वि0 अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड श्रेणी में आते हैं वो भी ठेके में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हें कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा इस सम्बन्ध में निविदा के साथ शपथ पत्र (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना होगा।
- 5) (clause 4.4A(a)) - निविदादाता द्वारा विगत 05 वित्तीय वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में निविदा धनराशि के समान धनराशि (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का टर्नओवर प्राप्त किया होना चाहिए। टर्न ओवर हेतु सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट एवं विगत 05 वित्तीय वर्षों का आई0टी0आर0 तथा नवीनतम वैध चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 का पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 6) विगत 05 वित्तीय वर्षों में किये गये कार्य के अनुभव के सम्बन्ध में :- (clause 4.4A (b)) - निविदादाता द्वारा मुख्य ठेकेदार के रूप में विगत 05 वित्तीय वर्षों में समान प्रकृति का निविदा धनराशि की कम से कम एक तिहाई लागत (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का 01 कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण किया गया हो। सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 7) निविदादाता द्वारा स्वीकृत आगणन दरों से कम दर अंकित करने पर नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा तथा जमा की गयी परफार्मेंस सिक्योरिटी संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
- 8) निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंकों में निर्धारित स्थान पर अंकित होने चाहिए। एक/समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।
- 9) निविदा स्वीकृति के पश्चात निविदा कार्य की कार्यादेश आदेश प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है अन्यथा विलम्ब के लिए रू0 1000 प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति पत्र की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

- 10) निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात 24 माह के अन्दर कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को दूर करना ठेकेदार/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 11) ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुये संतोषजनक उत्तर देने पर समय वृद्धि अथवा सन्तोषजनक कारण न होने पर अनुबंध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक आर्थिक दण्ड लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।
- 12) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी। यदि निविदा की दरें अव्यवहारिक पायी जाती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कार्यहित में निविदा को निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी में निहित होगा।
- 13) ठेकेदार द्वारा मानकों के अनुसार कराये गये कार्यों का समय-समय पर भुगतान किया जायेगा एवं पूर्व गठित तकनीकी जांच समिति अथवा गुणवत्ता जाँच थर्ड पार्टी की संस्तुति के पश्चात ही अन्तिम भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- 14) निविदादाता द्वारा संलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर निविदाकार को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 15) ई-निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा। पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नहीं होगा।
- 16) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- 17) (i) जी0एस0टी0 एवं अन्य करों की देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।
ii) निविदादाता सम्पूर्ण आवश्यक प्रचलित दरों के दृष्टिगत निविदा की दरों को कोट करना सुनिश्चित करेंगे।
iii) निविदा स्वीकृति के समय ठेकेदार को अतिरिक्त धरोहर-धनराशि अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ के शासदनादेश सं0 8/2017/836/ 23-7-17-176(सा.)/06 दिनांक 8-6-2017 पैरा-19 के अनुसार देय होगी।
- 18) हॉटमिक्स प्लान्ट से कराये जाने वाले बिटुमिन कार्य/सीमेन्ट कंक्रीट के कार्यों हेतु आर0एम0सी0 प्लान्ट, अन्य मशीनरी का स्वामित्व अथवा लीज एग्रीमेन्ट होना अनिवार्य है।
- 19) अन्य नियम व शर्तें गीडा/लोक निर्माण विभाग के अनुरूप होंगी जिन्हें किसी भी कार्य दिवस में गीडा अभियन्त्रण अनुभाग में देखी व जानी जा सकती हैं।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक: 2069 /अभि0नि0-6/सिविल/निविदा/गीडा/2024-25, दिनांक: 06/अगस्त, 2024
प्रतिलिपि :-

- 1- उप जिलाधिकारी/विशेष कार्याधिकारी को सूचनार्थ।
- 2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- प्रबन्धक (सिविल) गीडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 5- गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 6- सम्बन्धित पत्रावली/गार्ड फाईल।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

61

कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर

दूरभाष-(0551) 2580010, 2580090 फ़ैक्स. (0551) 2580020

ई-निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा गीडा/केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों एवं अर्द्धसरकारी उपक्रमों में सिविल निर्माण कार्य हेतु कॉलम नं० 7 के अनुसार अर्ह श्रेणी में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार से ऑन लाईन ई-निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-विड्स सिस्टम द्वारा ई-निविदा दिनांक 12.08.24 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनांक 02.09.24 को अपराह्न 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है एवं दिनांक 30.08.24 सायं 4:00 बजे प्री-बिड बैठक होगी। दिनांक 02.09.24 को अपराह्न 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (रु० लाख में) (जी.एस.टी. अतिरिक्त)	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी.एस.टी. सहित)	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Construction of Retaining Wall, Interlocking and culvert on 12 M Wide CH 0.920 to 1.910 RHS Road in Narkatha Sector-27,GIDA, Gorakhpur.	290.31	16.52	(निविदा मूल्य + जी. एस.टी.) रु० 2950.00	09 माह	'ए'	आन-लाईन

नोट- कृपया निविदा प्रपत्र इत्यादि के सम्बंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 30.08.24 तक कोई भी शुद्धि पत्र नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> से प्राप्त की जा सकती है।

नियम एवं शर्तें:-

- 1) निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य तथा धरोहर धनराशि "गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या-740901000088, IFSC कोड- ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा-तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No./Transaction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- 2) निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी।
- 3) ITB क्लाज 4.4 बी के अनुसार निविदा के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में रु० 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण-पत्र मूल रूप में "मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा गोरखपुर" को सम्बोधित करते हुए निविदा की अन्तिम तिथि के पूर्व एवं निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराइज्ड मूल रूप से ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

62

- i) ऐसे निविदादाता जिसका सगा-सम्बन्धी (defined as first blood relations, and their spouses) जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी/अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/सहायक प्रबन्धक/प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर आसीन हों, को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्तेदारों का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जोकि गीडा/खण्ड अथवा वृत्त में कार्यरत है।
- ii) ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायें, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- iii) कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है, उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4) प्रत्येक बिडर्स को रू0 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर के शपथ-पत्र पर सभी सूचनाएँ निर्धारित प्रपत्रों पर ऑन-लाईन अपलोड करना अनिवार्य है, जिससे कि निविदादाता की बिड्स कैपेसिटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता)/परीक्षण/ऑकलित हो सकें:-
 - i) प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को सभी सूचनाएँ/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे-टी-4(चरित्र प्रमाण पत्र), टी-5 (हैसियत प्रमाण पत्र) की सत्यापित छायाप्रति एवं टी-6 (शपथ पत्र) मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर नोटराइज्ड होना) प्रत्येक निविदा के साथ, शा0सं0 2572/23-7-2014-176 (सामान्य)/06टी0सी0 दिनांक 23 सितम्बर 2014 के क्रम में अपलोड करना अनिवार्य है।
 - ii) लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 836/23-7-17-176(सा0)/06 दिनांक 08 जून 2017 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार टेन्डर/कार्य में पारदर्शिता एवं सूचिता लाने तथा माफिया गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने एवं माफिया गतिविधियों, गैंगेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलग्न हो, उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हों उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित होगा एवं उसे ठेका भी नहीं दिया जायेगा। साथ ही जो ठेकेदार पूर्व में लो0नि0वि0 अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड श्रेणी में आते हैं वो भी ठेके में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हें कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा इस सम्बन्ध में निविदा के साथ शपथ पत्र (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना होगा।
- 5) (clause 4.4A(a)) - निविदादाता द्वारा विगत 05 वित्तीय वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में निविदा धनराशि के समान धनराशि (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का टर्नओवर प्राप्त किया होना चाहिए। टर्न ओवर हेतु सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट एवं विगत 05 वित्तीय वर्षों का आई0टी0आर0 तथा नवीनतम वैध चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 का पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 6) विगत 05 वित्तीय वर्षों में किये गये कार्य के अनुभव के सम्बन्ध में :- (clause 4.4A (b)) - निविदादाता द्वारा मुख्य ठेकेदार के रूप में विगत 05 वित्तीय वर्षों में समान प्रकृति का निविदा धनराशि की कम से कम एक तिहाई लागत (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का 01 कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण किया गया हो। सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 7) निविदादाता द्वारा स्वीकृत आगणन दरों से कम दर अंकित करने पर नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा तथा जमा की गयी परफार्मेंस सिक्योरिटी संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
- 8) निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंकों में निर्धारित स्थान पर अंकित होने चाहिए। एक/समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।
- 9) निविदा स्वीकृति के पश्चात निविदा कार्य की कार्यादेश आदेश प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है अन्यथा विलम्ब के लिए रू0 1000 प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति पत्र की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

- 10) निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात 24 माह के अन्दर कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को दूर करना ठेकेदार/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 11) ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुये संतोषजनक उत्तर देने पर समय वृद्धि अथवा सन्तोषजनक कारण न होने पर अनुबंध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक आर्थिक दण्ड लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।
- 12) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी। यदि निविदा की दरें अव्यवहारिक पायी जाती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कार्यहित में निविदा को निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी में निहित होगा।
- 13) ठेकेदार द्वारा मानकों के अनुसार कराये गये कार्यों का समय-समय पर भुगतान किया जायेगा एवं पूर्व गठित तकनीकी जांच समिति अथवा गुणवत्ता जाँच थर्ड पार्टी की संस्तुति के पश्चात ही अन्तिम भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- 14) निविदादाता द्वारा संलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर निविदाकार को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 15) ई-निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा। पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नहीं होगा।
- 16) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- 17) (i) जी0एस0टी0 एवं अन्य करों की देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।
 ii) निविदादाता सम्पूर्ण आवश्यक प्रचलित दरों के दृष्टिगत निविदा की दरों को कोट करना सुनिश्चित करेंगे।
 iii) निविदा स्वीकृति के समय ठेकेदार को अतिरिक्त धरोहर-धनराशि अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ के शासदनादेश सं0 8/2017/836/ 23-7-17-176(सा.)/06 दिनांक 8-6-2017 पैरा-19 के अनुसार देय होगी।
- 18) हॉटमिक्स प्लान्ट से कराये जाने वाले बिटुमिन कार्य/सीमेन्ट कंक्रीट के कार्यों हेतु आर0एम0सी0 प्लान्ट, अन्य मशीनरी का स्वामित्व अथवा लीज एग्रीमेन्ट होना अनिवार्य है।
- 19) अन्य नियम व शर्तें गीडा/लोक निर्माण विभाग के अनुरूप होंगी जिन्हें किसी भी कार्य दिवस में गीडा अभियन्त्रण अनुभाग में देखी व जानी जा सकती हैं।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक: 2064 /अभि0नि0-6/सिविल/निविदा/गीडा/2024-25, दिनांक: 06 /अगस्त, 2024

प्रतिलिपि :-

- 1- उप जिलाधिकारी/विशेष कार्याधिकारी को सूचनार्थ।
- 2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- प्रबन्धक (सिविल) गीडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाईट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 5- गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 6- सम्बन्धित पत्रावली/गार्ड फाईल।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

64

कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर

दूरभाष-(0551) 2580010, 2580090 फ़ैक्स. (0551) 2580020

ई-निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा गीडा/केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों एवं अर्द्धसरकारी उपक्रमों में सिविल निर्माण कार्य हेतु कॉलम नं० 7 के अनुसार अर्ह श्रेणी में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार से ऑन लाईन ई-निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-विड्स सिस्टम द्वारा ई-निविदा दिनांक 12.08.24 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनांक 02.09.24 को अपराह्न 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है एवं दिनांक 30.08.24 सायं 4:00 बजे प्री-बिड बैठक होगी। दिनांक 02.09.24 को अपराह्न 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (रु० लाख में) (जी.एस.टी. अतिरिक्त)	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी.एस.टी. सहित)	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Construction of Retaining Wall, Interlocking and Approach Road on 12 M Wide CH. 0.00 to 0.920 RHS Road in Narkatha Sector-27,GIDA, Gorakhpur.	276.97	15.85	(निविदा मूल्य + जी. एस.टी.) रु० 2950.00	09 माह	'ए'	आन-लाईन

नोट- कृपया निविदा प्रपत्र इत्यादि के सम्बंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 30.08.24 तक कोई भी शुद्धि पत्र नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> से प्राप्त की जा सकती है।

नियम एवं शर्त:-

- 1) निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य तथा धरोहर धनराशि "गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या-740901000088, IFSC कोड- ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा-तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No./Transaction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- 2) निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी।
- 3) ITB क्लाज 4.4 बी के अनुसार निविदा के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में रु० 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण-पत्र मूल रूप में "मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा गोरखपुर" को सम्बोधित करते हुए निविदा की अन्तिम तिथि के पूर्व एवं निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराइज्ड मूल रूप से आनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

65

- i) ऐसे निविदादाता जिसका सगा-सम्बन्धी (defined as first blood relations, and their spouses) जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी/अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/सहायक प्रबन्धक/प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर आसीन हों, को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्तेदारों का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जोकि गीडा/खण्ड अथवा वृत्त में कार्यरत है।
- ii) ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेंगे, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- iii) कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है, उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4) प्रत्येक बिडर्स को रू0 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर के शपथ-पत्र पर सभी सूचनाएँ निर्धारित प्रपत्रों पर ऑन-लाईन अपलोड करना अनिवार्य है, जिससे कि निविदादाता की बिड्स कैपेसिटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता)/परीक्षण/आँकलित हो सकें:-
 - i) प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को सभी सूचनाएँ/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे-टी-4(चरित्र प्रमाण पत्र), टी-5 (हैसियत प्रमाण पत्र) की सत्यापित छायाप्रति एवं टी-6 (शपथ पत्र) मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर नोटराइज्ड होना) प्रत्येक निविदा के साथ, शा0सं0 2572/23-7-2014-176 (सामान्य)/06टी0सी0 दिनांक 23 सितम्बर 2014 के क्रम में अपलोड करना अनिवार्य है।
 - ii) लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 836/23-7-17-176(सा0)/06 दिनांक 08 जून 2017 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार टेन्डर/कार्य में पारदर्शिता एवं सूचिता लाने तथा माफिया गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने एवं माफिया गतिविधियों, गैंगेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलग्न हो, उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हों उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित होगा एवं उसे ठेका भी नहीं दिया जायेगा। साथ ही जो ठेकेदार पूर्व में लो0नि0वि0 अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड श्रेणी में आते हैं वो भी ठेके में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हें कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा इस सम्बन्ध में निविदा के साथ शपथ पत्र (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना होगा।
- 5) (clause 4.4A(a)) - निविदादाता द्वारा विगत 05 वित्तीय वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में निविदा धनराशि के समान धनराशि (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का टर्नओवर प्राप्त किया होना चाहिए। टर्न ओवर हेतु सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट एवं विगत 05 वित्तीय वर्षों का आई0टी0आर0 तथा नवीनतम वैध चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 का पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 6) विगत 05 वित्तीय वर्षों में किये गये कार्य के अनुभव के सम्बन्ध में :- (clause 4.4A (b)) - निविदादाता द्वारा मुख्य ठेकेदार के रूप में विगत 05 वित्तीय वर्षों में समान प्रकृति का निविदा धनराशि की कम से कम एक तिहाई लागत (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का 01 कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण किया गया हो। सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 7) निविदादाता द्वारा स्वीकृत आगणन दरों से कम दर अंकित करने पर नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा तथा जमा की गयी परफार्मेंस सिक्योरिटी संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
- 8) निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंकों में निर्धारित स्थान पर अंकित होने चाहिए। एक/समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।
- 9) निविदा स्वीकृति के पश्चात निविदा कार्य की कार्यादेश आदेश प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है अन्यथा विलम्ब के लिए रू0 1000 प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति पत्र की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

66

- 10) निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात 24 माह के अन्दर कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को दूर करना ठेकेदार/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 11) ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुये संतोषजनक उत्तर देने पर समय वृद्धि अथवा सन्तोषजनक कारण न होने पर अनुबंध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक आर्थिक दण्ड लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।
- 12) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी। यदि निविदा की दरें अव्यवहारिक पायी जाती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कार्यहित में निविदा को निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी में निहित होगा।
- 13) ठेकेदार द्वारा मानकों के अनुसार कराये गये कार्यों का समय-समय पर भुगतान किया जायेगा एवं पूर्व गठित तकनीकी जांच समिति अथवा गुणवत्ता जाँच थर्ड पार्टी की संस्तुति के पश्चात ही अन्तिम भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- 14) निविदादाता द्वारा संलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर निविदाकार को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 15) ई-निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा। पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नहीं होगा।
- 16) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- 17) (i) जी0एस0टी0 एवं अन्य करों की देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।
 ii) निविदादाता सम्पूर्ण आवश्यक प्रचलित दरों के दृष्टिगत निविदा की दरों को कोट करना सुनिश्चित करेंगे।
 iii) निविदा स्वीकृति के समय ठेकेदार को अतिरिक्त धरोहर-धनराशि अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ के शासदनादेश सं0 8/2017/836/ 23-7-17-176(सा.)/06 दिनांक 8-6-2017 पैरा-19 के अनुसार देय होगी।
- 18) हॉटमिक्स प्लान्ट से कराये जाने वाले बिटुमिन कार्य/सीमेन्ट कंक्रीट के कार्यों हेतु आर0एम0सी0 प्लान्ट, अन्य मशीनरी का स्वामित्व अथवा लीज एग्रीमेन्ट होना अनिवार्य है।
- 19) अन्य नियम व शर्तें गीडा/लोक निर्माण विभाग के अनुरूप होंगी जिन्हें किसी भी कार्य दिवस में गीडा अभियन्त्रण अनुभाग में देखी व जानी जा सकती हैं।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक: 2065 /अभि0नि0-6/सिविल/निविदा/गीडा/2024-25, दिनांक: 06-अगस्त, 2024

प्रतिलिपि :-

- 1- उप जिलाधिकारी/विशेष कार्याधिकारी को सूचनार्थ।
- 2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- प्रबन्धक (सिविल) गीडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 5- गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 6- सम्बन्धित पत्रावली/गार्ड फाईल।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

67

कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर

दूरभाष—(0551) 2580010, 2580090 फ़ैक्स. (0551) 2580020

ई-निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा गीडा/केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों एवं अर्द्धसरकारी उपक्रमों में सिविल निर्माण कार्य हेतु कॉलम नं० 7 के अनुसार अर्ह श्रेणी में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार से ऑन लाईन ई-निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-बिड्स सिस्टम द्वारा ई-निविदा दिनांक ~~12.08.24~~ को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनांक ~~20.08.24~~ को अपराह्न 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है एवं दिनांक ~~16.08.24~~ सायं 4:00 बजे प्री-बिड बैठक होगी। दिनांक ~~20.08.24~~ को अपराह्न 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (रु० लाख में) (जी.एस.टी. अतिरिक्त)	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी.एस.टी. सहित)	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	औद्योगिक सेक्टर 27 व 28 गीडा गोरखपुर में 12मी० चौड़ी सड़क, चैनेज 1.740 से 1.840 कि०मी० तक (LHS) एवं 1.940 से 1.970 कि०मी० (RHS) पर आरसीसी बाक्स क्लवर्ट (3X6.00 M) का निर्माण कार्य।	317.10	17.86	(निविदा मूल्य + जी. एस.टी.) रु० 2950.00	09 माह	'ए'	आन-लाईन

नोट— कृपया निविदा प्रपत्र इत्यादि के सम्बंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक ~~16.08.24~~ तक कोई भी शुद्धि पत्र नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> से प्राप्त की जा सकती है।

नियम एवं शर्तें:-

- 1) निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य तथा धरोहर धनराशि "गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या-740901000088, IFSC कोड- ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा-तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No./Transaction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- 2) निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी।
- 3) ITB क्लॉज 4.4 बी के अनुसार निविदा के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में रु० 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण-पत्र मूल रूप में "मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा गोरखपुर" को सम्बोधित करते हुए निविदा की अन्तिम तिथि के पूर्व एवं निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराइज्ड मूल रूप से आनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

68

- i) ऐसे निविदादाता जिसका सगा-सम्बन्धी (defined as first blood relations, and their spouses) जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी/अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/सहायक प्रबन्धक/प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर आसीन होंगे, को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्तेदारों का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जोकि गीडा/खण्ड अथवा वृत्त में कार्यरत है।
- ii) ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेंगे, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- iii) कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है, उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4) प्रत्येक बिडर्स को रू0 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर के शपथ-पत्र पर सभी सूचनाएँ निर्धारित प्रपत्रों पर ऑन-लाईन अपलोड करना अनिवार्य है, जिससे कि निविदादाता की बिड्स कैपेसिटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता)/परीक्षण/ऑकलित हो सकें:-
 - i) प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को सभी सूचनाएँ/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे-टी-4(चरित्र प्रमाण पत्र), टी-5 (हैसियत प्रमाण पत्र) की सत्यापित छायाप्रति एवं टी-6 (शपथ पत्र) मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर नोटराइज्ड होना) प्रत्येक निविदा के साथ, शा0सं0 2572/23-7-2014-176 (सामान्य)/06टी0सी0 दिनांक 23 सितम्बर 2014 के क्रम में अपलोड करना अनिवार्य है।
 - ii) लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 836/23-7-17-176(सा0)/06 दिनांक 08 जून 2017 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार टेन्डर/कार्य में पारदर्शिता एवं सूचिता लाने तथा माफिया गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने एवं माफिया गतिविधियों, गैंगेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलग्न हो, उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हों उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित होगा एवं उसे ठेका भी नहीं दिया जायेगा। साथ ही जो ठेकेदार पूर्व में लो0नि0वि0 अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड श्रेणी में आते हैं वो भी ठेके में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हें कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा इस सम्बन्ध में निविदा के साथ शपथ पत्र (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना होगा।
- 5) (clause 4.4A(a)) - निविदादाता द्वारा विगत 05 वित्तीय वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में निविदा धनराशि के समान धनराशि (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का टर्नओवर प्राप्त किया होना चाहिए। टर्न ओवर हेतु सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट एवं विगत 05 वित्तीय वर्षों का आई0टी0आर0 तथा नवीनतम वैध चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 का पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 6) विगत 05 वित्तीय वर्षों में किये गये कार्य के अनुभव के सम्बन्ध में :- (clause 4.4A (b)) - निविदादाता द्वारा मुख्य ठेकेदार के रूप में विगत 05 वित्तीय वर्षों में समान प्रकृति का निविदा धनराशि की कम से कम एक तिहाई लागत (अनुरक्षण लागत को छोड़ते हुए) का 01 कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण किया गया हो। सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 7) निविदादाता द्वारा स्वीकृत आगणन दरों से कम दर अंकित करने पर नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा तथा जमा की गयी परफार्मेंस सिक्योरिटी संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
- 8) निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंकों में निर्धारित स्थान पर अंकित होने चाहिए। एक/समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।
- 9) निविदा स्वीकृति के पश्चात निविदा कार्य की कार्यदेश आदेश प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है अन्यथा विलम्ब के लिए रू0 1000 प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति पत्र की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

- 10) निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात 24 माह के अन्दर कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को दूर करना ठेकेदार/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 11) ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुये संतोषजनक उत्तर देने पर समय वृद्धि अथवा सन्तोषजनक कारण न होने पर अनुबंध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक आर्थिक दण्ड लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।
- 12) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी। यदि निविदा की दरें अव्यवहारिक पायी जाती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कार्यहित में निविदा को निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी में निहित होगा।
- 13) ठेकेदार द्वारा मानकों के अनुसार कराये गये कार्यों का समय-समय पर भुगतान किया जायेगा एवं पूर्व गठित तकनीकी जांच समिति अथवा गुणवत्ता जाँच थर्ड पार्टी की संस्तुति के पश्चात ही अन्तिम भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- 14) निविदादाता द्वारा संलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर निविदाकार को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 15) ई-निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा। पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नहीं होगा।
- 16) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- 17) (i) जी0एस0टी0 एवं अन्य करों की देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।
 ii) निविदादाता सम्पूर्ण आवश्यक प्रचलित दरों के दृष्टिगत निविदा की दरों को कोट करना सुनिश्चित करेंगे।
 iii) निविदा स्वीकृति के समय ठेकेदार को अतिरिक्त धरोहर-धनराशि अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ के शासदनादेश सं0 8/2017/836/ 23-7-17-176(सा.)/06 दिनांक 8-6-2017 पैरा-19 के अनुसार देय होगी।
- 18) हॉटमिक्स प्लान्ट से कराये जाने वाले बिटुमिन कार्य/सीमेन्ट कंक्रीट के कार्यों हेतु आर0एम0सी0 प्लान्ट, अन्य मशीनरी का स्वामित्व अथवा लीज एग्रीमेन्ट होना अनिवार्य है।
- 19) अन्य नियम व शर्तें गीडा/लोक निर्माण विभाग के अनुरूप होंगी जिन्हें किसी भी कार्य दिवस में गीडा अभियन्त्रण अनुभाग में देखी व जानी जा सकती हैं।

06/08/24
(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक: 2066 /अभि0नि0-6/सिविल/निविदा/गीडा/2024-25, दिनांक: 06/अगस्त, 2024
 प्रतिलिपि :-

- 1- उप जिलाधिकारी/विशेष कार्याधिकारी को सूचनार्थ।
- 2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- प्रबन्धक (सिविल) गीडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 5- गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 6- सम्बन्धित पत्रावली/गार्ड फाईल।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

70